

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड Insolvency and Bank ruptcy Board of India

वार्षिक लेखा 2017-18





भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड

वार्षिक लेखा 2017—18

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड 7 वॉ तल, मयूर भवन,शंकर मार्केट,कनॉट प्लेस, नई दिल्ली—110001 टेलीफोन + 9111—23462900 वैबसाइट : आई बी बी आई .जी औ वी .ईन





भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड

अनुक्रमणिका

| विवरण | पृष्ठ सं. |
|---|-----------|
| 1—प्रस्तावना | 4 |
| 2— भारत के नियत्रंक एवं महालेखापरीक्षक की पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट | 5 |
| 3— लेखा परीक्षा रिपोर्ट का अनुलग्नक | 7 |
| 4— तुलन पत्र | 8 |
| 5— आय एवं व्यय लेखा | 9 |
| 6— प्राप्ति एवं भुगतान लेखा | 10 |
| 7— तुलन पत्र की भागस्वरूप अनुसूचियाँ | 11 |
| 8— आय एवं व्यय लेखों की अनुसूचियाँ | 20 |
| 9— महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां | 25 |
| 10— अनिश्चित दायित्व और लेखाओं पर टिप्पणियां | 27 |
| 11— लेखा परीक्षा प्रेक्षणों का अनुपालन | 34 |



प्रस्तावना

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड की स्थापना प्रथम अक्टूबर 2016 को भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता सहिंता 2016 (कोड) के तहत की गयी थी। यह संहिता के कार्यान्वयन हेतु उत्तरदायी अर्थतन्त्र का एक प्रमुख स्तम्भ है जो पुनर्गठन तथा कारपोरेट व्यक्तियों / साझेदारी फर्म एवं व्यक्तियों की शोधन क्षमता समाधान से सम्बन्धित विधि को ऐसे व्यक्तियों की परिसम्पत्तियों के मूल्य को अधिकतम बनाने, उधमताओं को प्रोन्नत करने, सभी हितधारकों के हितों के जमा तथा शेष की उपलब्धता के लिए समयबद्ध तरीके से समेकित एवं संशोधित करता है।

बोर्ड दिवाला पेषेवरों, दिवाला पेषेवर एजेंसियों, दिवाला पेषेवर सत्ताओं तथा सूचना उपयोगताओं पर विनियामक निरिक्षण करता है। यह सिहंता के अधीन कॉरपोरेट दिवाला समाधान, कॉरपोरेट परिसमापन, वैयक्तिक दिवाला समाधान तथा वैयक्तिक शोधन अक्षमता नामक प्रकियाओं के लिए नियमों को लिखता है और लागू करता है। इसे संहिता के उद्देष्यों को पूरा करने हेतु दिवाला पेषेवरों, दिवाला पेषेवर एजेंसियों, दिवाला पेषेवर सत्ताओं तथा सूचना उपयोगताओं तथा अन्य संस्थानों के विकास को बढ़ाने तथा उनकी कार्यप्रणाली एवं कार्यव्यवहार को विनियमित करने कर कार्य दिया गया है। इसे देश के मुल्यांककों के विनियमन एवं विकास के लिए कम्पनीज (पंजीकृत मूल्यांकक तथा मूल्यांकन नियमावली), 2017 के अधीन "प्राधिकरण" पदनामित किया गया है।

सहिंता की धारा-223(1) में अपेक्षित है कि बोर्ड लेखों तथा अन्य संगत अभिलेखों का उचित रख रखाव करेगा तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के परामर्श से, केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र में लेखों की वार्षिक विवरणी तैयार करेगा। तदनुसार केन्द्र सरकार ने तारीख 1 मई, 2018 की अधिसूचना के तहत, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (वार्षिक लेखा विवरण प्ररूप) नियम 2018 बनाए है।

सहिंता की धारा–223(2) में अपेक्षित है कि बोर्ड के लेखों का भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा ऐसे अंतराल पर लेखा परीक्षा किया जायेगा जैसा विनिर्दिष्ट किया जाए। तदनुसार, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने बोर्ड के वित्त वर्ष 2017—18 का लेखा परीक्षा किया है तथा तारीख 29 जनवरी, 2019 के पत्र सं0 आर.ए.पी /ए.आई/एन.आर/78/2018-19/आईबी0बी0आई/2017-18/1223 के अधीन लेखा परीक्षा रिपोर्ट अग्रेशित की है।

यह रिपोर्ट भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा प्रमाणित, निर्धारित प्रपत्र में, वित्त वर्ष 2017-18 हेत् बोर्ड के लेखों को प्रस्तुत करती है तथा उन पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रदान करती है। इसे सिहंता की धारा 223(4) के अनुसार केन्द्र सरकार को अग्रेशित किया गया है।



31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड के लेखों के संबंध में भारत के नियत्रंक एवं महालेखापरीक्षक की पृथक लेखा परीखा रिपोर्ट

- 1. हमने 31 मार्च-2018 के अनुसार भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड के संलग्न तुलन पत्र तथा उसी तारीख में समाप्त आय एवं व्यय लेखा / प्राप्ति एवं भूगतान लेखों का भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता 2016 की धारा 223(2) के साथ पठित नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कर्तव्य, शक्तियों तथा सेवा शर्ता) अधिनियम 1971 की धारा 19(2) के तहत लेखा परीक्षण किया है। इन वित्तीय विवरणियों का दायित्व आई०बी०बी०आई० प्रबन्धन का है। हमारा दायित्व इन विवरणियों पर आधारित हमारे लेखा परीक्षा के जरिये अपनी राय व्यक्त करना है।
- 2. पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट में भारत के नियत्रंक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां निहित है जो श्रेष्ठ लेखा व्यवहारों लेखा मानको तथा प्रकटन मानक आदि की पृष्टि एवं वर्गीकरण से सम्बन्धित लेखा व्यवहार पर आधारित है। विधि नियमावली एवं अधिनियम (उपयुक्तता एवं नियमितता) तथा दक्षता सह निष्पादन पहलुओं आदि के अनुपालन के संबंध में यदि कोई है वित्तीय लेनदेनो पर लेखा परीक्षा प्रेक्षणों को निरीक्षण रिपोर्ट / सीएजी की लेखा परीक्षा रिपोर्ट के जरिये पृथक रूप से सूचित किया जाता है।
- 3. हमने सामान्यत भारत में स्वीकृत लेखा परीक्षण मानको के अनुसार अपना लेखा परीक्षण आयोजित किया है। इन मानको के लिए आवश्यक है कि हमने योजना तैयार की तथा उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए, कि क्या वित्तीय विवरणियों भौतिक कुविवरणीयों से मुक्त है लेखा परीक्षा किया है। लेखा परीक्षा में नमूना आधार पर वित्तीय विवरणियों में धनराशि तथा प्रकरन के समर्थन में साक्ष्यों की जांच करना शामिल है। लेखा परीक्षा में उपयोगिता लेखा सिद्वातों तथा प्रबन्धन द्वारा वित्तीय विवरणियों के समग्र प्रस्तुतीकरण के मूल्यांकन के साथ बनाये गये महत्वपूर्ण अनुमानों का निर्धारण करना शामिल है। हमें विश्वास कि हमारा लेखा परीक्षण हमारी राय हेतू उचित आधार प्रदान करता है।
- 4. अपने लेखा परीक्षा के आधार पर हम सूचित करते है कि-
 - I. हमने सभी सूचनाऐं एवं स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए है जो हमारे ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार हमारे लेखा परीक्षा के आयोजन हेतू आवश्यक थे।
 - II. इस रिपोर्ट से संबंधित तुलन पत्र आय एवं व्यय लेखा तथा भूगतान लेखा का आहरण भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड (वार्षिक लेखा विवरण प्ररूप) नियम 2018 के तहत अनुमोदित लेखा प्रपत्र में किया गया है।
 - III. हमारी राय में जैसा कि ऐसी पुस्तकों की हमारी जाँच से प्रकट होता है भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता 2016 की धारा 223(1) के तहत यथा अपेक्षित उचित पुस्तकों तथा संबंधित अभिलेखों का रख रखाव आईबी०बी०आई० द्वारा किया गया है।
 - IV. हम आगे सुचित करते है कि-

क–आय एवं व्यय लेखा –

आय

ब्याज अर्जित किया (अनुसूची-XVI) रू० 4.48 लाख

देय ब्याज में वर्ष 2016–17 एवं 2017–18 हेतु रू० 29.85 लाख की राशि प्राप्त नहीं होने के कारण उपरोक्त को शामिल नही किया गया है। इसके परिणाम अर्जित ब्याज, अधिशेष तथा वर्तमान आस्तियों, ऋणों तथा अग्रिमों को रू० 29.85 लाख से कम दिखाया गया है।



ख– अनुदान सहायता

वर्ष 2017—18 के दौरान आईबी०बी०आई० द्वारा अनुदान सहायता की वास्तविक स्थिति तथा 31 मार्च—2018 के अनुसार प्राप्त तथा उपयोगित अनुदान सहायता की शेष राशि निम्नानुसार है।

| बजट शीर्ष | प्रारम्भिक शेष | प्राप्त अनुदान | संचयी शेष | उपयोगित अनुदान | बिना खर्च का शेष |
|--|-------------------|----------------|-----------|-------------------|---------------------|
| अनुदान सहायता (सामान्य) | 157.23 | 333.00 | 490.23 | 490.23 | - |
| अनुदान सहायता (वेतन) | 208.01 | 300.00 | 508.01 | 508.01 | - |
| अनुदान सहायता (पूंजी) आई0टी0सम्बन्धी | 96.91 | - | 96.91 | 19.91* | 77.00 |
| अनुदान सहायता मयूर भवन परिसर कार्य | 92.86 | | 92.86 | 46.32 | 46.54 |
| योग | 555.01 | 633.00 | 1188.01 | 1064.47 | 123.54 |

(प्रबन्धन द्वारा सूचना के अनुसार डाटा)

- V. पूर्व पैराग्राफों में हमारे प्रेक्षणों के अनुसार हम सूचित करते है कि इस रिपोर्ट से संबंधित तुलन पत्र एवं आय व व्यय लेखा / प्राप्ति व भुगतान लेखा पुस्तकों से मेल खाती है।
- VI. हमारी राय में तथा हमारी श्रेष्ठ सूचना के अनुसार तथा हमें दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार लेखांकन नीतियों तथा लेखों पर टिप्पणियों के साथ पठित कथित वित्तीय बर्ष विवरणियों इस पृथक लेखा परीक्षा रिर्पोट के अनुलग्नक में उल्लिखित महात्वपूर्ण मामलों के अधीन भारत में स्वीकृत सामान्यतया लेखा सिद्वान्तों की पृष्टि में सत्य एवं उचित द्वष्टिकोण प्रदान करता है।
- क- जहाँ तक 31 मार्च-2018 को भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड के कार्यों के विवरण के तुलन पत्र से इसका संबंध है।
- ख— जहाँ तक वर्ष की समाप्ति पर उसी तारीख को अधिशेष आय एवं व्यय लेखा का इससे संबंध है।

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से

स्थान : नई दिल्ली तारीख –29.01.2019 हस्ताक्षर
(प्राची पाण्डेय)
व्यावसायिक लेखापरीक्षा के प्रधान निदेशक
एवं पदेन सदस्य,लेखा परीक्षा बोर्ड प्र0
नई दिल्ली

^{*} वेतन एवं सामान्य खर्च की अधिकता को समाप्त करने हेतु अनुदान का उपयोग किया गया।



लेखा परीक्षा रिपोर्ट का अनुलग्नक

- 1. आंतरिक लेखा परीक्षा पद्मति की पर्याप्तता आई०बी०बी०बाई० में कोई आंतरिक लेखा परीक्षा शाखा नही है। वर्ष 2017-18 में बाहय एजेन्सी द्वारा आंतरिक लेखा-परीक्षा कराया गया है।
- 2. आंतरिक नियंत्रण परीक्षा पद्मति की पर्याप्तता आई०बी०बी०बाई० में आंतरिक नियंत्रण पद्वति संगठन आकार के अनुसार है।
- 3. स्थिर आस्तियों के भैतिक सत्यापन की पद्वति वर्ष 2017–18 के दौरान आई०बी०बी०बाई० में स्थिर आस्तियों का भौतिक सत्यापन किया गया था।
- 4. सूची के भौतिक सत्यापन की पद्वति 31 मार्च–2018 को आई०बी०बी०बाई० की पुस्तकों में कोई सूची नही हैं।
- 5. साविधिक देयों के भुगतान में नियमितता साविधिक देयों के भुगतान में सामारणतः आई०बी०बी०बाई० नियमित है।



फार्म - ए भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड 31 मार्च 2018 तक तुलन पत्र

(राशि रूपये में)


| | | (31131 | 079 1) |
|--|---------|-------------|-------------|
| निधि एवं दायित्व | अनुसूची | चालू वर्ष | पूर्व वर्ष |
| निधि | 1 | 2,55,65,051 | 6,52,86,803 |
| आरक्षितियां व अधिशेष | II | - | _ |
| चिन्हित और अक्षय निधि | Ш | - | - |
| प्रतिभूत ऋण एवं उधार | IV | - | - |
| अप्रतिभूत ऋण एवं उधार | V | - | -11 |
| आस्थगित प्रत्यय दायित्व | VI | 37,500 | - |
| वर्तमान दायित्व और उपबन्ध | VII | 3,88,15,404 | 9,95,760 |
| कुल | | 6,44,17,955 | 6,62,82,563 |
| आस्तियां | | - | _ |
| स्थिर आस्तियां | VIII | 1,11,91,205 | 8,72,445 |
| निवेश—चिन्हित / अक्षय—निधियों से | IX | - | - |
| निवेश / अन्य | X | 83,34,345 | _ |
| वर्तमान आस्तियां, ऋण एवं अग्रिम | XI | 4,48,92,405 | 6,54,10,118 |
| विविध व्यय (समाप्त या समायोजित होने तक) | | - | _ |
| कुल | | 6,44,17,955 | 6,62,82,563 |
| महात्वपूर्ण लेखांकन नीतियां | XXII | | |
| अनिश्चित दायित्व और लेखाओं पर टिप्पणियां | XXIII | | |

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड

हस्त0 डॉ नवरंग सैनी पूर्णकालिक सदस्य, (वित्त एवं लेखा), आईबीबीआई

हस्त0 श्री ज्ञानेश्वर सिंह डॉ एम. एस. साहू अध्यक्ष,लेखा परीक्षा समिति, अध्यक्ष, आईबीबीआई आईबीबीआई

हस्त0



फार्म - बी भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड 31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष संबंधी आय एवं व्यय खाता

(जाका कर में)

| | | | (साध ५० म) |
|--|---------|--------------|-------------|
| आय | सूची | चालू वर्ष | पूर्व वर्ष |
| अनुदान / सहायता राशि | XII | 10,15,51,546 | 2,34,75,834 |
| शुल्क / अंशदान | XIII | 3,25,70,442 | 89,73,000 |
| निवेश से आय (निधियों में अंतरित किए गए चिन्हित/अक्षय निधियों में निवेश से प्राप्त आय) | XIV | - | - |
| रायल्टी प्रकाशन आदि से प्राप्त आय | XV | - | - |
| अर्जित ब्याज | XVI | 4,48,413 | - |
| अन्य आय | XVII | 22,100 | - |
| कुल (क) | | 13,45,92,501 | 3,24,48,834 |
| व्यय | अनुसूची | चालू वर्ष | पिछला वर्ष |
| स्थापना व्यय | XVIII | 5,93,59,996 | 66,98,830 |
| अन्य प्रशासनिक व्यय आदि | XIX | 7,34,51,776 | 1,67,77,004 |
| अनुदान / सहायता राशि आदि संबंधी व्यय | XX | - | - |
| ब्याज | XXI | - | - |
| अवमूल्यन (अनुसूची–VIII से संबंधित वर्ष की समाप्ति के दौरान निवल कुल योग) | XXII | 17,74,372 | 9,72,475 |
| कुल (ख) | | 13,45,86,144 | 2,44,48,309 |
| व्यय से अधिक की आय का शेष (क—ख) विशेष आरक्षिती में अंतरण (प्रत्येक को स्पष्ट करें) सामान्य आरक्षिती में / से अंतरण | > | 6,357 | 80,00,525 |
| समूह / पूंजी निधि में अंतरित किए गए अधिशेष (कमी) | | 6,357 | 80,00,525 |
| महात्वपूर्ण लेखांकन नीतियां | XXII | | |
| अनिश्चित देयताएं और लेखों पर टिप्पणियां | XXIII | | |

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड

हस्त0 डॉ नवरंग सैनी पूर्णकालिक सदस्य, (वित्त एवं लेखा), आईबीबीआई

हस्त0 श्री ज्ञानेश्वर सिंह अध्यक्ष,लेखा परीक्षा समिति, आईबीबीआई

हस्त0 डॉ एम. एस. साहू अध्यक्ष, आईबीबीआई



फार्म - सी भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड 31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष संबंधी प्राप्ति एवं भुगतान खाता

(राणि रूपये में)

| | | | | (साध ४ | |
|--|--------------|-------------|---|--------------|-------------|
| प्राप्तियां | चालू वर्ष | पिछला वर्ष | भुगतान | चालू वर्ष | पूर्व वर्ष |
| l.खाता खुलने के समय अधिशेष | | | I.व्यय | | |
| (क) नकदी | 35,104 | - | क)स्थापना खर्च (अनुसूची XVIII से संबंधित) | 3,43,82,510 | 52,23,928 |
| (ख) बैंक में अतिशेष | | | ख) प्रशासनिक व्यय (अनुसूची XIX से संबंधित) | 5,90,18,376 | 45,62,263 |
| 1.चालू खाते में | 6,53,58,414 | _ | ग) इनपुट जी०एस०टी० | 23,53,459 | - |
| 2.जमा खाते में | - | - | | | |
| 3.बचत खाते में | - | - | | | |
| II. प्राप्त अनुदान | _ | - | II.विभिन्न परियोजनाओं की निधि के | - | = |
| (क) भारत सरकार से | 6,33,00,000 | 6,71,14,253 | लिए किया गया भुगतान (निधि या | | |
| (ख) अन्य स्त्रोतों से (ब्यौरे) (पूंजी और राजस्व व्यय के अनुदान को पृथक रूप से दर्शाया जाएगा) | - | - | परियोजना का नाम, प्रत्येक परियोजना के लिए किए गए भुगतान के ब्यौरे सहित दर्शाया जाएगा) | | |
| III.निवेश प्ररूप संबंधी आय | | | III.किए गए निवेश और जमाएं | - | = |
| (क)चिन्हित/अक्षय निधियां | - | - | (क)चिन्हित/अक्षय निधियों से | - | - |
| (ख) स्वामित्व प्राप्त निधियां (निवेश—अन्य) | - | - | (ख) स्वामित्व प्राप्त निधियां (निवेश—अन्य) से | 61,31,000 | = |
| IV.प्राप्त ब्याज | | | IV.स्थिर आस्तियों और प्रगतिशील पूंजी संबंधित व्यय | - | - |
| (i)बैंक जमा | 4,03,133 | 63,000 | (क)स्थिर आस्तियों की खरीद | 88,94,743 | 3,08,711 |
| (ii)ऋण, अग्रिम आदि | = | = | (ख) प्रगतिशील पूंजी संबंधी व्यय | - | - |
| V.अन्य आय (स्पष्ट करें) | | | V.अधिशेष राशि / ऋण की वापसी | | |
| आवेदन फीस | 2,72,77,342 | 89,10,000 | (क) भारत सरकार से | - | - |
| विविध आय | 22,100 | - | (ख) निधियों के अन्य प्रदाताओं से | | = |
| VI.उधार ली गई राशि | - | - | VI.वित्तीय प्रभार (ब्याज) | : | - |
| VII.अन्य प्राप्तियां (विवरण दें) | _ | - | VII.अन्य भुगतान (स्पष्ट करें) | | |
| सिक्योरिटी जमा | 10,00,000 | - | सिक्योरिटी | 1,62,000 | - |
| दिवाला पेशेवर–अन्य फीस | 37,500 | | टी०डी०एस० भुगतान | 77,07,921 | 5,82,233 |
| पूर्व वर्ष के अग्रिम प्राप्त हुऐ | 6,600 | - | जी०एस०टी० भुगतान | 11,52,094 | - |
| आउटपुट जी०एस०टी०प्राप्त हुआ | 32,69,948 | - | ऋण एवं अग्रिम | 20,20,160 | 16,600 |
| | | | VIII.अंतिम अतिशेष | | |
| | | | (क) नकदी | 49,620 | 35,104 |
| | | | (ख) बैंक शेष | | |
| | | | (i) चालू खाते में | 3,88,38,258 | 6,53,58,414 |
| | | | (ii) जमा खाते में | - | - |
| | | | (iii) बचत खाता | | - |
| कुल | 16,07,10,141 | 7,60,87,253 | कुल | 16,07,10,141 | 7,60,87,253 |

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड

हस्त0 डॉ नवरंग सैनी पूर्णकालिक सदस्य, (वित्त एवं लेखा), आईबीबीआई

हस्त0 श्री ज्ञानेश्वर सिंह डॉ एम. एस. साहू अध्यक्ष,लेखा परीक्षा समिति, अध्यक्ष, आईबीबीआई आईबीबीआई

हस्त0



भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के अनुसार तुलन पत्र की भागस्वरूप अनुसूचियाँ

अनुसूची–I निधि

(राशि रूपये में)

| | चालू वर्ष | पूर्व वर्ष |
|--|---------------|--------------|
| वर्ष के प्रारम्भ में अतिशेष राशि | 6,52,86,803 | _ |
| अतिरिक्तः निधि में किया गया अंशदान | 6,33,00,000 | 8,07,62,112 |
| जोडें/(घटायें): आय और व्यय खाते से अंतरित निवल आय/(व्यय) | -10,30,28,109 | -2,34,75,834 |
| का शेष (अनुसूची–XXIII के नोट सं0–7 को देखें) | | |
| जोडेः(घटाये) निवल आय व्यय के शेष को आय तथा व्यय खाते से | 6,357 | 80,00,525 |
| अंतरित किया गया | | |
| वर्ष के अंत में अतिशेष राशि | 2,55,65,051 | 6,52,86,803 |

अनुसूची—II आरक्षितियां और अधिशेष

(राशि रू० में)

| | C | (1111 (30 4) |
|---|---------------|--------------|
| | चालू वर्ष | पूर्व वर्ष |
| | - | |
| | | |
| 1.वर्ष के दौरान जोडें गए अंतिम खाते के अनुसार पूंजी आरक्षिती | - | _ |
| घटाएः वर्ष के दौरान घटाई गई राशि | | |
| 2. वर्ष के दौरान जोडें गए अंतिम खाते के अनुसार मूल्यांकन | - | _ |
| आरक्षिती | | |
| घटाएः वर्ष के दौरान घटाई गई राशि | | |
| 3. वर्ष के दौरान जोड़ें गए अंतिम खाते के अनुसार विशेष आरक्षितीयां | - | _ |
| घटाएः वर्ष के दौरान घटाई गई राशि | | |
| 4. वर्ष के दौरान जोड़ें गए अंतिम खाते के अनुसार सामान्य आरक्षिती | _ | _ |
| घटाएः वर्ष के दौरान घटाई गई राशि | | |
| कुल | - | _ |

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड

हस्त0 डॉ नवरंग सैनी पूर्णकालिक सदस्य, (वित्त एवं लेखा), आईबीबीआई

हस्त0 श्री ज्ञानेश्वर सिंह डॉ एम. एस. साहू अध्यक्ष,लेखा परीक्षा समिति, अध्यक्ष, आईबीबीआई श्री ज्ञानेश्वर सिंह आईबीबीआई

हस्त0





अनुसूची–III चिन्हित/अक्षय निधियां

(राशि रू० में)

| | | निधिवार विवरण | | | कुल | न <i>(५)</i> 0 पा) |
|---|------|---------------|------------|------|-----------|--------------------|
| | निधि | निधि | निधि | निधि | चालू वर्ष | पूर्व वर्ष |
| | | | | | | |
| (क) निधियों का प्रारंभिक अतिशेष | _ | - | - | - | - | _ |
| (ख) निधियों में अतिरिक्त राशि जोड़ना | | | | | | |
| (i) दान/अनुदान | =: | 1 | - | - | - | - |
| (ii) निधियों के खाते में किए गए निवेशों से आय | - | 1 | - | - | | - |
| अन्य अतिरिक्त राशियां (प्रकृति स्पष्ट करें) | - | 1 | - | _ | - | - |
| कुल (क्+ख) | - | - | - | - | - | - |
| (ग) निधियों के उददेश्य के प्रति किया गया प्रयोग / व्यय | | | | | | |
| (i) पूंजी व्यय | | | | | | |
| – स्थिर आस्तिया | - | 1 | - | | | - |
| –अन्य | - | I | - | - | | |
| कुल | - | 1 | - | - | - | - |
| (ii) राजस्व व्यय | | | | | | |
| – वेतन, मजदूरी और भत्ते आदि | _ | I | : - | - | - | - |
| – किराया | _ | ì | _ | - | - | - |
| – अन्य प्रशासनिक व्यय | _ | 1 | | _ | _ | _ |
| कुल | - | - | - | - | - | - |
| योग (ग) | - | - | - | - | - | - |
| वर्ष की समाप्ति के दौरान निवल शेष | - | - | - | - | - | - |
| (क+ख-ग) | | | | | | |

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड

हस्त0 डॉ नवरंग सैनी पूर्णकालिक सदस्य, (वित्त एवं लेखा), आईबीबीआई

हस्त0 श्री ज्ञानेश्वर सिंह डॉ एम. एस. साहू अध्यक्ष,लेखा परीक्षा समिति, अध्यक्ष, आईबीबीआई आईबीबीआई

हस्त0



अनुसूची—IV प्रतिभूत ऋण और उधार

(राणि रू० में)

| | | (41141 400 4) |
|----------------------------------|-----------|---------------|
| | चालू वर्ष | पूर्व वर्ष |
| 1- केन्द्रीय सरकार | - | _ |
| 2- वित्तीय संस्था | | |
| क. अवधि ऋण | - | - |
| ख. अर्जित ब्याज और देय | - | - |
| 3- बैंक | | 1 |
| क. अवधि ऋण | _ | _ |
| – अर्जित ब्याज और देय | | |
| ख. अन्य ऋण (स्पष्ट करें) | _ | _ |
| अर्जित ब्याज और देय | | |
| 4- अन्य संस्था और अभिकरण | - | - |
| 5- डिबेंचर एवं बांड़ | - | _ |
| 6- अन्य (स्पष्ट करें) | - | _ |
| कुल | _ | _ |
| टिप्पणः एक वर्ष के भीतर देय राशि | | |
| | | |

अनुसूची–V अप्रतिभूत ऋण एवं उधार

(राशि रू० में)

| | चालू वर्ष | पूर्व वर्ष |
|----------------------------------|-----------|------------|
| 1- केन्द्रीय सरकार | - | |
| 2-वित्तीय संस्था | - | - |
| 3- बैंक | | |
| (क) अवधि ऋण | - | _ |
| (ख) अन्य ऋण (स्पष्ट करे) | _ | - |
| 4- अन्य संस्था और अभिकरण | - | - |
| 5- डिबेंचर एवं बांड़ | | - |
| 6- स्थिर जमा | - | _ |
| 7- अन्य (स्पष्ट करे) | - | _ |
| कुल | _ | - |
| टिप्पणः एक वर्ष के भीतर देय राशि | | |

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड

हस्त0 डॉ नवरंग सैनी पूर्णकालिक सदस्य, (वित्त एवं लेखा), आईबीबीआई

हस्त0 श्री ज्ञानेश्वर सिंह अध्यक्ष,लेखा परीक्षा समिति, आईबीबीआई

हस्त0 डॉ एम. एस. साहू अध्यक्ष, आईबीबीआई



अनुसूची—VI आस्थगित ऋण दायित्व

(राशि रू० में)

| | चालू वर्ष | पूर्व वर्ष |
|--|-----------|------------|
| 1- पूंजी उपकरण एवं अन्य आस्तियों के मालबंधक (हाइपोथिकेशन) द्वारा प्रतिभूत स्वीकृतियां | - | - |
| 2- अन्य | | _ |
| 3- आई०पी० अन्य फीस | 37,500 | - |
| (अनुसूची–XXIII के नोट सं0–8 को देखें) | | |
| कुल | 37,500 | - |
| टिप्पणः एक वर्ष के भीतर देय राशि | 37,500 | |

अनुसूची—VII वर्तमान दायित्व और उपबंध

| | | | | शि रू० में) | | |
|--|-----------|------------------------|----------|--------------|--|--|
| क. वर्तमान दायित्व | चालू | चालू वर्ष पूर्व वर्ष - | | चालू वर्ष पू | | |
| 1- स्वीकृतियां | | | | - | | |
| 2- विविध लेनदार | | | 4 | | | |
| क. माल के लिए | | - | | _ | | |
| ख. अन्य | | 49,20,739 | | 58,703 | | |
| अनुसूची—XXIII के नोट सं0 10 को देखें | | | | | | |
| 3-प्राप्त अग्रिम | | _ | | - | | |
| 4- प्रोद्भूत ऋण जो शोध्यन हो | | | | | | |
| क. प्रतिभूत ऋण/आधार | | _ | | - | | |
| ख. अप्रतिभूत ऋण/उधार | | - | | | | |
| ५- कानूनी दायित्व | | | | | | |
| क. अतिरिक्त | | - | | - | | |
| ख. अन्य | *- | - | | - | | |
| सी0पी0एफ0 अंशदान | 83,34,345 | | 7,20,031 | | | |
| पी०एन०बी० में जमा निधि | | и | | | | |
| (अनुसूची XXIII के नोट सं0 11.1 को देखे) | | | | | | |
| देय टी०डी०एस० | 19,77,189 | 1,03,11,534 | 2,17,026 | 9,37,057 | | |
| (अनुसूची XXIII के नोट सं0–11.2 को देखे) | | | · | | | |
| 6- अन्य वर्तमान दायित्व | | | | | | |
| सिक्योरिटी डिपाजिट | | 10,00,000 | | | | |
| (अनुसूची XXIII के नोट सं0–12 को देखें) | | | | | | |
| कुल (क) | | 1,62,32,273 | | 9,95,760 | | |



अनुसूची— VII वर्तमान दायित्व और उपबंध

....पिछला जारी (म धान्य कार)

| (अनुसूची XXIII के नोट सं0—15 को देखें) संविदा पर आउटसोर्स स्टाफ | | | | | (राशि रूपये में) |
|---|--|-----------|-------------|-------|------------------|
| 2- उपदान 3- संवानिवृत्ति / पेंशन प्रित नियुक्ति पर अधिकारियों के लिए प्रावधान (अनुसूची—XXIII के नोट सं0—13.2 को वेखे) पेंशन की ओर | | चालृ | वर्ष | पूर्व | वर्ष |
| 3- सेवानिवृत्ति / पॅशन प्रति नियुक्ति पर अधिकारियों के लिए प्रावधान (अनुसूची—XXIII के नोट सं0—13.2 को देखें) पॅशन की ओर 2,12,950 छुटटी वेतन अंशदान की ओर 2,55,068 4,68,018 4- संचित अवकाश नकदीकरण 5- व्यापार वारही / दावा 6- अन्य (स्पष्ट करें) विधुत 1,38,518 किराया (अनुसूची XXIII के नोट सं0—14 को देखें) संविदा पर आउटसोर्स स्टाफ 98,18,000 (अनुसूची XXIII के नोट सं0—15 को देखें) संविदा पर आउटसोर्स स्टाफ 9,11,040 व्यवसायिक प्रभार (अनुसूची XXIII के नोट सं0—16 को देखें) हेलीफोन 16,520 दौरा एवं यात्रा लेखा परीक्षण की फीस 71,500 2,21,15,113 | 1- कराधान के लिए | | _ | | _ |
| प्रति नियुक्ति पर अधिकारियों के लिए प्रावधान (अनुसूची—XXIII के नोट सं0—13.2 को देखें) पेशन की ओर 2,12,950 छुटटी वेतन अंशदान की ओर 2,55,068 4,68,018 - 4- संचित अवकाश नकदीकरण - 5- व्यापार वारही / दावा - 6- अन्य (स्पष्ट करें) विधुत 1,38,518 - किराया (अनुसूची XXIII के नोट सं0—14 को देखें) संविदा पर आउटसोर्स स्टाफ 9,11,040 - व्यवसायिक प्रभार (अनुसूची XXIII के नोट सं0—16 को देखें) टेलीफोन 16,520 - दौरा एवं यात्रा 83,855 - लेखा परीक्षण की फीस 71,500 2,21,15,113 - (अनुसूची XXIII के नोट सं0—17 को देखें) कुल (ख) 2,25,83,131 - | 2- उपदान | | | | _ |
| प्रावधान (अनुसूची—XXIII के नोट सं0—13.2 को देखें) पेंशन की ओर | | | - | | - |
| (अनुसूची—XXIII के नोट सं0—13.2 को वेखें) पेशन की ओर | | | | | |
| रेखें) पेशन की ओर पेशन की ओर पुटटी वेतन अंशदान की ओर 2,55,068 4,68,018 4- संचित अवकाश नकदीकरण 5- व्यापार वारही ∕ दावा 6- अन्य (स्पष्ट करें) विधुत 1,38,518 किराया (अनुसूवी XXIII के नोट सं0−14 को देखें) वेतन अ8,69,429 (अनुसूवी XXIII के नोट सं0−15 को देखें) संविदा पर आउटसोर्स स्टाफ 9,11,040 व्यवसायिक प्रभार (अनुसूवी XXIII के नोट सं0−16 को देखें) टेलीफोन 16,520 वौरा एवं यात्रा लेखा परीक्षण की फीस (अनुसूवी XXIII के नोट सं0−17 को देखें) कुल (ख) 2,25,83,131 | | | | | |
| खुटटी वेतन अंशदान की ओर | | | | | |
| 4- संचित अवकाश नकदीकरण 5- व्यापार वारही / दावा 6- अन्य (स्पष्ट करे) विधुत किराया (अनुसूची XXIII के नोट सं0—14 को देखें) वेतन (अनुसूची XXIII के नोट सं0—15 को देखें) संविदा पर आउटसोर्स स्टाफ 9,11,040 व्यवसायिक प्रभार (अनुसूची XXIII के नोट सं0—16 को देखें) टेलीफोन वीरा एवं यात्रा लेखा परीक्षण की फीस (अनुसूची XXIII के नोट सं0—17 को देखें) कुल (ख) 2,25,83,131 | | 2,12,950 | | | |
| 5- व्यापार वारही / दावा 6- अन्य (स्पष्ट करे) विधुत 1,38,518 किराया 98,18,000 (अनुसूची XXIII के नोट सं0—14 को देखें) वेतन (अनुसूची XXIII के नोट सं0—15 को देखें) संविदा पर आउटसोर्स स्टाफ 9,11,040 व्यवसायिक प्रभार (अनुसूची XXIII के नोट सं0—16 को देखें) टेलीफोन 16,520 दौरा एवं यात्रा 83,855 लेखा परीक्षण की फीस (अनुसूची XXIII के नोट सं0—17 को देखें) कुल (ख) 2,25,83,131 | छुटटी वेतन अंशदान की ओर | 2,55,068 | 4,68,018 | | _ |
| 6- अन्य (स्पष्ट करें) विधुत | 4- संचित अवकाश नकदीकरण | | - | | - |
| विधुत | 5- व्यापार वारही / दावा | | - | | _ |
| किराया (अनुसूची XXIII के नोट सं0—14 को देखें) 88,69,429 (अनुसूची XXIII के नोट सं0—15 को देखें) 9,11,040 व्यवसायिक प्रभार (अनुसूची XXIII के नोट सं0—16 को देखें) 2,206,251 (अनुसूची XXIII के नोट सं0—16 को देखें) 2,21,15,113 विखा परीक्षण की फीस (अनुसूची XXIII के नोट सं0—17 को देखें) 2,25,83,131 - | , , | | | | |
| (अनुसूची XXIII के नोट सं0—14 को देखें) वेतन (अनुसूची XXIII के नोट सं0—15 को देखे) संविदा पर आउटसोर्स स्टाफ व्यवसायिक प्रभार (अनुसूची XXIII के नोट सं0—16 को देखें) टेलीफोन दौरा एवं यात्रा लेखा परीक्षण की फीस (अनुसूची XXIII के नोट सं0—17 को देखें) कुल (ख) 2,25,83,131 | विधुत | 1,38,518 | | | _ |
| देखें) वितन 88,69,429 (अनुसूची XXIII के नोट सं0—15 को देखें) पंविदा पर आउटसोर्स स्टाफ 9,11,040 व्यवसायिक प्रभार 22,06,251 (अनुसूची XXIII के नोट सं0—16 को देखें) वित्रापरीय प्रशास 83,855 लेखा परीक्षण की फीस 71,500 2,21,15,113 (अनुसूची XXIII के नोट सं0—17 को देखें) 2,25,83,131 - | किराया | 98,18,000 | | | _ |
| (अनुसूची XXIII के नोट सं0—15 को देखें) संविदा पर आउटसोर्स स्टाफ | , 0 % | | | | |
| देखें) संविदा पर आउटसोर्स स्टाफ 9,11,040 | वेतन | 88,69,429 | | | _ |
| व्यवसायिक प्रभार (अनुसूची XXIII के नोट सं0—16 को देखे) टेलीफोन 16,520 दौरा एवं यात्रा लेखा परीक्षण की फीस (अनुसूची XXIII के नोट सं0—17 को देखे) कुल (ख) 22,06,251 16,520 - 2,21,15,113 - 2,25,83,131 | | | | | |
| (अनुसूची XXIII के नोट सं0—16 को देखें) टेलीफोन 16,520 - वौरा एवं यात्रा 83,855 - लेखा परीक्षण की फीस 71,500 2,21,15,113 - युनसूची XXIII के नोट सं0—17 को देखें) - कुल (ख) - 2,25,83,131 | संविदा पर आउटसोर्स स्टाफ | 9,11,040 | | | _ |
| देखें) ———————————————————————————————————— | व्यवसायिक प्रभार | 22,06,251 | | | _ |
| दौरा एवं यात्रा | देखे) | | | | |
| लेखा परीक्षण की फीस 71,500 2,21,15,113 | टेलीफोन | 16,520 | | | _ |
| (अनुसूची XXIII के नोट सं0—17 को देखे) कुल (ख) 2,25,83,131 | दौरा एवं यात्रा | 83,855 | | | _ |
| देखें) | | 71,500 | 2,21,15,113 | | _ |
| | (अनुसूची XXIII के नोट सं0—17 को देखे) | | | | |
| कुल (क+ख) 3,88,15,404 9,95,760 | कुल (ख) | | 2,25,83,131 | | _ |
| | कुल (क+ख) | | 3,88,15,404 | | 9,95,760 |

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड

हस्त0 डॉ नवरंग सैनी पूर्णकालिक सदस्य, (वित्त एवं लेखा), आईबीबीआई

हस्त0 श्री ज्ञानेश्वर सिंह अध्यक्ष,लेखा परीक्षा समिति, आईबीबीआई

हस्त0 डॉ एम. एस. साहू अध्यक्ष, आईबीबीआई

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड

| | | 737 | 1860 | > |
|---|----|-----|-------|---|
| 4 | 4 | 4 | 1 | |
| 0 | 3 | -2 | D | |
| | चव | 4.3 | Tall. | |

अनुसूची–VIII स्थिर आस्तियां

| | | | स्थिर आस्तियां | स्तयां | | | | | (राशि र | (राशि रूपये में) |
|--|-----------------|-----------------------|--------------------------------|----------------|--------------|-----------|---------------------------------|-------------|--------------|------------------|
| | | सक | सकल ब्लाक | | | ਲ ਲ | अवमूल्यन | | निवल ब्लाक | लाक |
| विवरण | वर्ष के | वर्ष के दौरान | वर्ष के दौरान | वर्ष के अंत के | वर्ष के | वर्ष के | वर्ष के दौरान | वर्ष के अंत | चालू वर्ष की | पूर्व वर्ष की |
| | आरम्भ म लागत | आतारक्त जोड़े गए ' | घटाए गए∕समायोजित किंग गा | समय लागत | आरम क समय | दारान | घटाए गए/समायोजित निस्समाय | तक कुल | समाप्त तक | समापि तक |
| क. स्थिर आस्तियां | | | \$1, \$ch1 | | | | ो। रेका | | | |
| 1. بېل | | | | | | | | | | |
| (क) फ़ीहोल्ड | 1 | 1 | 1 | | 1 | • | 1 | 1 | 1 | I |
| (ख) पट्टाधृत | 1 | 1 | 1 | 1 | - | | ı | 1 | , 1 | ı |
| भवन | | | | | | | | | | |
| (क) फीहोल्ड भूमि पर | ı | 1 | 1 | 1 | 1 | • | Ī | 1 | 1 | 1 |
| (ख) पट्टाधृत भूमि पर | 1 | 1 | 1 | 1 | i | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| (ग) स्वामित्व प्राप्त फ्लैट/परिसर | 1 | ı | .1 | 1 | 1 | 1 | ı | 1 | | .1 |
| (घ) ऐसी भूमि जो इकाई की नहीं है पर बड़े ढांचे | 1 | 1 | 1. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 |
| 3. सयत्रं मशीनरी और उपकरण | L | i | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ı | ī | ı |
| 4. यान | 1 | Ĭ | 1 | | 1 | t | 1 | ı | 1 | 1 |
| 5. फर्नीचर एवं फिक्सचर | • | 4,70,691 | 1 | 4,70,691 | 1 | 32,918 | ı | 32,918 | 4,37,773 | ı |
| 6. कार्यालय उपकरण (अनुसूची—XXIII का नोट से0—18.1 देखें) | 16,03,557 | 18,52,927 | -14,76,562 | 19,79,922 | 8,98,637 | 1,23,099 | -8,85.938 | 1,35,798 | 18,44,123 | 7,04,920 |
| 7. कम्प्यूटर / पेरीफेरल (अनुसूची—XXIII का नोट से0—18.2 देखें) | 2,41,363 | 66,26,566 | -12,863 | 990'52'89 | 73,838 | 25,12,011 | -7,718 | 25,78,131 | 42,76,935 | 1,67,525 |
| 8. इलेक्ट्रानिकी इंस्टालेशन | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | í | 1 | 1 |
| 9. पुस्तकालय की पुस्तकें | 1 | ı | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10. ट्र्यूबवैल और जल आपूर्ति | ı | Ī | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | ı |
| 11. अन्य स्थिर आस्तियां | 1 | í | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | I |
| चालू वर्ष का कुल | 18,44,920 | 89,50,184 | -14,89,425 | 93,05,679 | 9,72,475 | 26,68,028 | -8,93,656 | 27,46,847 | 65,58,831 | 8,72,445 |
| पूर्व वर्ष का कुल | | 18,44,920 | 1 | 18,44,920 | ı | 9,72,475 | 1 | 9,72,475 | 8,72,445 | 1 |
| ख. प्रगतिशील पूंजी (अनुसूची-XXIII का नोट से0-2 देखें) | • | 46,32,374 | 1 | 46,32,374 | I | • | 1 | 1 | 46,32,374 | ſ |
| कुल | 18,44,920 | 1,35,82,558 | -14,89,425 | 1,39,38,053 | 9,72,475 | 26,68,028 | -8,93,656 | 27,46,847 | 1,11,91,205 | 8,72,445 |


हस्त0

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड

श्री ज्ञानेश्वर सिंह अध्यक्ष, लेखा परीक्षा समिति,

आईबीबीआई

हस्त0 डॉ नवरंग सैनी, पूर्णकालिक सदस्य, (वित्त एवं लेखा), आईबीबीआई





अनुसूची— IX चिन्हित / अक्षय निधियों से निवेश

(राशि रू० में)

| | चालू वर्ष | पूर्व वर्ष |
|-------------------------------|-----------|------------|
| 1- सरकारी प्रतिभूतियां | | - |
| 2- अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां | 1 | - |
| 3- शेयर | - | - |
| 4- डिबेंचर और बांड | - | - |
| 5- अनुषंगी और संयुक्त उधम | 1 | - |
| 6- अन्य (स्पष्ट करें) | = | - |
| कुल | ı | - |

अनुसूची— X निवेश - अन्य

(राशि रू० में)

| | चालू वर्ष | पूर्व वर्ष |
|--|-----------|------------|
| 1- सरकारी प्रतिभूतियां | - | - |
| 2- अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां | - | - |
| 3- शेयर | - | - |
| 4- डिबेंचर और बांड | | - |
| 5- अनुषंगी और संयुक्त उधम | - | - |
| 6- अन्य (स्पष्ट करें) | | |
| सी0पी0एफ0 हेतु पी0एन0बी0 में रखी हुई निधि | 83,34,345 | - |
| कुल | 83,34,345 | - |

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड

हस्त0 डॉ नवरंग सैनी पूर्णकालिक सदस्य, (वित्त एवं लेखा), आईबीबीआई


हस्त0 श्री ज्ञानेश्वर सिंह डॉ एम. एस. साहू अध्यक्ष,लेखा परीक्षा समिति, अध्यक्ष, आईबीबीआई आईबीबीआई

हस्त0



अनुसूची— XI वर्तमान आस्तियां, ऋण, अग्रिम आदि

| | | | | | (राशि रू० मे |
|----|---|-----------|-------------|-------|--------------|
| | | चार | नू वर्ष | पूर्व | वर्ष |
| | वर्तमान आस्तियां, ऋण तथा अग्रिम आदि | | | | |
| क. | वर्तमान आस्तियां | | | | |
| | 1. ऋण | | | | |
| | (क) छह माह से अधिक अवधि के लिए देय ऋण (अनुसूची XXIII के नोट सं0—20.1 को देखे) | | 5,54,600 | | - |
| | (ख) अन्य (अनुसूची XXIII के नोट सं0—20.2 को देखे) | | 42,38,500 | | - |
| | 2. वर्तमान नकद अतिशेष (चैक / ड्राफ्ट और इम्प्रेस्ट सहित) (अनुसूची XXIII के नोट सं0—21 को देखे) | | 49,620 | | 35,104 |
| | 3. बैंक अतिशेष | 1 | | | |
| | (क) अनुसूचित बैंक के साथ | | | W. | |
| | पंजाब नेशनल बैंक में शेष (अनुसूची XXIII के नोट सं0—22 को देखे) | | 3,67,24,452 | | 6,53,58,414 |
| | (ख) गैर अनुसूचित बैंक के साथ | | | | |
| | चालू खाते में | | _ | | - |
| | जमा खाते में | | 1 - | | _ |
| | बचत खाते में | | _ | | _ |
| | 4. पोस्ट ऑफिस — बचत खाता | | _ | | _ |
| | কুল (ক) | | 4,15,67,172 | | 6,53,93,518 |
| ख. | ऋण, अग्रिम और अन्य आस्तियां | | 1,10,01,112 | | 0,00,00,010 |
| | 1. निम्नलिखित को ऋण | | | | |
| | (क) स्टाफ | | _ | | _ |
| | (ख) अन्य इकाईयों को जो किसी इकाई के समान किसी कार्यकलाप/उद्देश्य के लिए कार्य करती हो। | | - | | - |
| | (ग) अन्य (स्पष्ट करें) | | _ | | _ |
| | नकद या वस्तु या प्राप्त किए जाने वाले मूल्य में अन्य वापसी योग्य राशि और अग्रिम | | | | |
| | (क) पूंजी खाते पर | - | | _ | |
| | (ख) पूर्व भुगतान (अनुसूची XXIII के नोट सं0—23 को देखे) | 22,05,228 | | - | |
| | (ग) अन्य | | | | |
| | जी०एस०टी० प्राप्त योग्य | 2,35,605 | | _ | |





| टी०डी०एस० प्राप्त योग्य | 6,05,229 | | - | |
|------------------------------------|----------|-------------|--------|-------------|
| सिक्योरिटी डिपाजिट | 1,72,000 | | 10,000 | |
| फुटकर प्राप्त योग्य | 56,240 | | | |
| स्टाफ | 50,931 | 33,25,233 | 6,600 | 16,600 |
| 3. अर्जित आय | | | | |
| (क) चिन्हित / अक्षय निधियों से किए | | _ | | _ |
| गए निवेश पर | | | | |
| (ख) निवेश — अन्य पर | | - | | - |
| (ग) ऋण और अग्रिमों पर | | | | - |
| (घ) अन्य (नकद करने के लिए देय | | | | _ |
| राशि) | | | | |
| 4. प्राप्य दावा | | - | | - |
| कुल (ख) | | 33,25,233 | | 16,600 |
| কুল (क +ख) | | 4,48,92,405 | | 6,54,10,118 |

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड

हस्त0 डॉ नवरंग सैनी पूर्णकालिक सदस्य, (वित्त एवं लेखा), आईबीबीआई

हस्त0 श्री ज्ञानेश्वर सिंह अध्यक्ष,लेखा परीक्षा समिति, आईबीबीआई

हस्त0 डॉ एम. एस. साहू अध्यक्ष, आईबीबीआई



31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के अनुसार आय एवं व्यय लेखों की अनुसूचियाँ

अनुसूची— XII अनुदान / परिदान (वापस न किए जाने वाले अनुदान और परिदान)

(राशि रूपये में)

| | चालू वर्ष | पूर्व वर्ष |
|--------------------------|--------------|-------------|
| 1. केन्द्रीय सरकार | 10,15,51,546 | 2,34,75,834 |
| 2. सरकारी अभिकरण | | - |
| 3. संस्था / कल्याण निकाय | - | - |
| 4. अंतराष्ट्रीय संगठन | - | - |
| 5. अन्य (स्पष्ट करें) | - | - |
| कुल | 10,15,51,546 | 2,34,75,834 |

अनुसूची— XIII शुल्क / अभिदाय


(राशि रूपये में)

| | चालू वर्ष | पूर्व वर्ष |
|----------------------------------|-------------|------------|
| 1. प्रवेश शुल्क | - | - |
| 2. फाइलिंग शुल्क — आवेदन की | | |
| फीस | | |
| दिवाला पेशेवर | 1,68,50,450 | 59,10,000 |
| दिवाला पेशेवर एजेन्सी | 15,00,000 | 30,00,000 |
| सूचना उपयोगिताऐं | 65,00,000 | - |
| पंजीकृत मूल्यांकन संगठन | 8,00,000 | - |
| परीक्षा शुल्क | 42,38,500 | _ |
| 3. सेमीनार / कार्यक्रम शुल्क | 5,14,492 | 63,000 |
| 4. परामर्श शुल्क | - | |
| 5. अन्य (स्पष्ट करें) – भर्ती से | 21,67,000 | _ |
| आवेदन फीस (अनुसूची XXIII के | | |
| नोट सं0—16 को देखें) | | |
| कुल | 3,25,70,442 | 89,73,000 |

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड

हस्त0 डॉ नवरंग सैनी पूर्णकालिक सदस्य, (वित्त एवं लेखा), आईबीबीआई

हस्त0 श्री ज्ञानेश्वर सिंह अध्यक्ष,लेखा परीक्षा समिति, आईबीबीआई हस्त0 डॉ एम. एस. साहू अध्यक्ष, आईबीबीआई





अनुसूची— XIV निवेश से आय (चिन्हित/अक्षय निधियों में अंतरित होने वाली निधियों में निवेश से आय)

(राशि रूपये में)

| | (10) | | | | |
|---------------------------------|--------------|---------------|-----------|------------|--|
| | चिन्हित निधि | वयों से निवेश | निवेश | ा–अन्य | |
| | चालू वर्ष | पूर्व वर्ष | चालू वर्ष | पूर्व वर्ष | |
| 1. ब्याज | | | | | |
| क. सरकारी प्रतिभूतियों पर | _ | - | _ | _ | |
| ख. अन्य बांड / डिबेन्चर | - | - | - | - | |
| 2. लाभांश | | | | | |
| क) शेयरों पर | - | _ | _ | _ | |
| ख. म्यूचुअल फंड प्रतिभूतियों पर | - | _ | _ | _ | |
| 3. किराया | - | _ | - | _ | |
| 4. अन्य (स्पष्ट करें) | - | - | _ | - | |
| कुल | - | - | - | - | |

अनुसूची– XV रायलटी, प्रकाशन आदि से आय

(राशि रूपये में)

| | चालू वर्ष | पूर्व वर्ष |
|-----------------------|-----------|------------|
| 1. रायल्टी से आय | - | - |
| 2. प्रकाशन से आय | | - |
| 3. अन्य (स्पष्ट करें) | - | - |
| कुल | - | |

अनुसूची– XVI अर्जित ब्याज

(राशि रूपये में)

| | चालू वर्ष | पूर्व बर्ष |
|---|-----------|------------|
| 1. आवधिक जमा कर | | |
| क. अनुसूचित बैंको के साथ (अनुसूची XXIII के नोट सं0—24 को देखे) | 4,48,413 | - |
| ख. गैर अनुसूचित बैंको के साथ | - | - |
| ग. संस्थानों के साथ | - | - |
| घ. अन्य | - | - |
| 2. बचत खातों पर | | |
| क. अनुसूचित बैंको के साथ | - | - |
| ख. गैर अनुसूचित बैंको के साथ | - | _ |

| THE STORY THE | | |
|--|----------|---|
| ग. पोस्ट ऑफिस बचत खाता | _ | _ |
| घ. अन्य | _ | _ |
| 3. ऋण पर | | |
| क. कर्मचारी/कर्मचारीवृद | v | _ |
| ख. अन्य | _ | - |
| 4. ऋणियों और अन्य प्राप्तियों पर ब्याज | - | - |
| योग | 4,48,413 | = |
| टिप्पण : स्त्रोत पर काटा गया कर उपदर्शित करें। | | |

अनुसूची— XVII

अन्य आय

(राशि रूपये में)

| | चालू वर्ष | पूर्व वर्ष |
|--|-----------|------------|
| 1. आस्तियों की विक्रय/निपटान संबंधी पर लाभ | | |
| क. स्वामित्व प्राप्त आस्तियां | - | - |
| ख. अनुदान से प्राप्त आस्तियां या बिना लागत के प्राप्त आस्तियां | | _ |
| 2. विविध सेवाओं के लिए शुल्क | 6,410 | _ |
| 3. विविध आय | 15,690 | - |
| योग | 22,100 | - |

अनुसूची— XVIII

स्थापना व्यय

(राशि रूपये में)

| | चालू वर्ष | पूर्व वर्ष |
|--|-------------|------------|
| 1.वेतन एवं मजदूरी (अनुसूची XXIII के नोट सं0—25 को देखे) | 5,67,87,398 | 66,98,830 |
| 2.भत्ते तथा बोनस | 14,10,315 | _ |
| 3.भविष्य निधि में अभिदाय | 11,62,283 | _ |
| 4.अन्य निधि (स्पष्ट करें) में अंशदान | _ | _ |
| 5.कर्मचारीवृद कल्याण व्यय | _ | _ |
| 6.कर्मचारी की सेवानिवृत्ति और सेवानिवृत्ति लाभ संबंधी खर्चें | _ | - |
| ७.अन्य (स्पष्ट करें) | _ | - |
| कुल | 5,93,59,996 | 66,98,830 |

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड

हस्त0 डॉ नवरंग सैनी पूर्णकालिक सदस्य, (वित्त एवं लेखा), आईबीबीआई

हस्त0 श्री ज्ञानेश्वर सिंह अध्यक्ष,लेखा परीक्षा समिति, आईबीबीआई

हस्त0 डॉ एम. एस. साहू अध्यक्ष, आईबीबीआई



अनुसूची— XIX अन्य प्रशासनिक खर्च

(राशि रूपये में)

| | चालू वर्ष | पूर्व वर्ष |
|--|-------------|-------------|
| एम०सी०ए० द्वारा प्रत्यक्ष खर्च हेतु अनुदान सहायता | - | 1,21,71,296 |
| 1. खरीद | - | - |
| 2. श्रम तथा प्रोसेसिंग व्यय | _ | _ |
| 3. गाड़ी भाड़ा और वाहन अभियंत्र | - | _ |
| 4. विद्युत और शक्ति | 18,65,411 | _ |
| 5. जल प्रभार | - | _ |
| 6. बीमा | - | _ |
| 7. मरम्मत एवं रखरखाव | 4,56,791 | 84,065 |
| 8. किराया, दर और कर | 3,24,66,167 | - |
| 9. चलने वाले वाहन, रखरखाव या किराया प्रभार | 10,43,632 | 2,56,659 |
| 10. डाकखर्च, टेलीफोन और संपर्क प्रभार | 8,24,166 | 3,76,682 |
| 11. मुद्रण और स्टेशनरी | 20,69,396 | 16,33,644 |
| 12. यात्रा और परिवहन व्यय (अनुसूची XXIII के नोट सं0—6.2 को देखे) | 99,26,083 | 5,36,824 |
| 13. संगोष्ठी, कार्यशालाओं पर व्यय | 7,20,847 | 2,000 |
| 14. अंशदान व्यय | 10,14,192 | |
| 15. शुल्क संबंधी व्यय | 10,74,536 | 1,57,297 |
| 16. लेखा परीक्षको का पारिश्रमिक / कानूनी शुल्क | 71,500 | _ |
| 17. आतिथित्य सत्कार व्यय | 14,13,314 | 1,07,497 |
| 18. व्यवसायिक प्रभार | 50,35,281 | 50,000 |
| 19. गलत और संदेहास्पद ऋण/अग्रिमों के लिए प्रावधान | - | _ |
| 20. वापस न होने वाले सामप्त शेष | _ | - |
| 21. पैकिंग प्रभार | - | _ |
| 22. माल भाड़ा और अग्रेषण व्यय | - | - |
| 23. वितरण व्यय | - | = |
| 24. विज्ञापन एवं प्रचार व्यय | - | - |
| 25. अन्य (स्पष्ट करें।) | | |
| –आउट सोर्स हेतु भुगतान | 1,32,23,609 | 11,58,179 |
| –सलाहकार समिति ण्वं बोर्ड बैठक व्यय | 3,90,287 | 1,78,993 |
| –पुस्तके एवं पत्रिकाऐं | 1,18,883 | 34,864 |
| –प्रकाशन व्यय | 16,39,000 | = |
| –विविध आय | 98,681 | 29,004 |
| | | |

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड

हस्त0 डॉ नवरंग सैनी पूर्णकालिक सदस्य, (वित्त एवं लेखा), आईबीबीआई

हस्त0 श्री ज्ञानेश्वर सिंह अध्यक्ष,लेखा परीक्षा समिति, . आईबीबीआई

हस्त0 डॉ एम. एस. साहू अध्यक्ष, आईबीबीआई



अनुसूची— XX अनुदान, परिदान आदि संबंधी व्यय

(राशि रूपये में)

| | | (|
|--|-----------|------------|
| | चालू वर्ष | पूर्व वर्ष |
| (क) संस्थाओं / संगठनों को दिया गया | - | - |
| अनुदान | | |
| (ख) संस्थाओं / संग्ठनों को दी गयी सहायता राशि | - | - |
| कुल | _ | - |

अनुसूची– XXI ब्याज

(राशि रूपये में)

| | चालू वर्ष | पूर्व वर्ष |
|-------------------------------------|-----------|------------|
| (क) स्थिर ऋणों पर | _ | - |
| (ख) अन्य ऋणों (बैंक प्रभार सहित) पर | - | - |
| (ग) अन्य (स्पष्ट करें) | - | - |
| कुल | - | - |

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड

हस्त0 डॉ नवरंग सैनी पूर्णकालिक सदस्य, (वित्त एवं लेखा), आईबीबीआई

हस्त0 श्री ज्ञानेश्वर सिंह अध्यक्ष,लेखा परीक्षा समिति, आईबीबीआई

हस्त0 डॉ एम. एस. साहू अध्यक्ष, आईबीबीआई



अनुसूची— XXII महात्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

भारत सरकार द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के परामर्श से निर्धारित प्रपत्र में आईबी०बी०आई ("बोर्ड") ने अपनी विवरणीयां तैयार की है तथा लेखों का सी०एड़०ए०जी० द्वारा लेखा परीक्षण किया गया है।

1. लेखांकन व्यवहार

1.1 ऐतिहासिक लागत व्यवहार, जब तक कि लेखांकन के संग्रहण रीति के संबंध में अन्यथा उल्लिखित न हो, भारतीय चार्टड लेखाकार संस्थान आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानको तथा स्वीकृत लेखा सिद्वान्तों के आधार पर वित्तीय विवरण तैयार किए जाते हैं।

2. निवेश-

- 2.1 ''दीर्घावधि निवेश'' के रूप में वर्गीकृत निवेशों को लागत पर तैयार किया जाता है। ऐसे निवेशों के वहन लागत में अस्थायी के अलावा अस्वीकार करने का उपाबंध हैं।
- 2.2 "वर्तमान" के रूप में वगीकृत निवेशों को कम लागत व उचित मूल्य के तैयार किया जाता है। ऐसे निवेशों के मूल्य में कमी के उपाबंध को वैश्विक आधार पर तैयार न करके व्यैक्तिक रूप से समझे गए प्रत्येक निवेश के लिए तैयार किया जाता है।
- 2.3 लागत में अधिग्रहण व्यय जैसे दलाली, अंतरण स्टांप सम्मिलित हैं।

3. स्थिर आस्तियां


3.1 स्थिर आस्तियों को वास्तिवक मूल्य से अवमूल्यन को कम करके तथा यदि काई हानि हो तो प्रावधान बनाकर दिखाया जाता है। लागत में अधिग्रहण खर्च तथा निर्माण/संस्थापक तथा अन्य आकस्मिक खर्च शामिल होते हैं जो सम्पत्ति को उसके आशयतन उपयोग हेतु कार्य करने की हालत में लाने के लिए आवश्यक हैं।

4. अवमूल्यन

- 4.1 आयकर अधिनियम 1961 में विनिर्दिष्ट दरों के अनुसार सीधी रेखा पद्धति, केवल स्थिर आस्तियों के अधिग्रहण के लिए विदेशी मुद्रा देष्ता के परिवर्तन के कारण उठने वाले लागत समझौता संबंधी अवमूल्यन, जिसे संबंधित आस्तियों के अवशिष्ट समय में परिशोधित किया जाता है के अलावा, किया जाता है।
- 4.2 वर्ष के दौरान स्थिर आस्तियों में जोड़ना / घटाना के संबंध में, समानुपातिक आधार पर अवमूल्यन किया जाता है।
- 4.3 5,000 रूपये या उससे कम राशि वाली आस्तियों का उनके अधिग्रहण वर्ष में संपूर्ण संरक्षण किया जाता है।

5. प्रकीर्ण व्यय

5.1 आस्थिगित राजस्व व्यय को अर्जित करने के वर्ष से पाँच वर्ष की अवधि के भीतर समाप्त कर दिया जाता है।





6. विक्रय संबंधी लेखांकन

6.1 बिकी में सीमा शुल्क सम्मिलित है और विक्रय विवरणी, छूट और व्यापार छूट का निवल होता है।

7. सरकारी अनुदान / परिदान

7.1 किसी परियोजना को स्थापित करने के लिए पूंजी लागत में दिए गए अंशदान की प्रकृति वाले सरकारी अनुदानों को पूंजी आरक्षण के रूप में समझा जाता है।

7.2 अधिग्रहण किए गए विनिर्दिष्ट स्थिर आस्तियों संबंधी आस्तियों के लागत से घटाए जाने के रूप में दर्शाया जाता है।

7.3 सरकारी अनुदानों को वसूली के रूप में तथा उपयोग प्रोदभूत आधार पर लेखांकित किया जाता है।

8. विदेशी मुद्रा संव्यवहार

8.1 विदेशी मुद्रा में किए गए संव्यवहारों की तारीख में दिए गए विनिमय दर पर लेखांकित किया जाता है।

8.2 वर्तमान आस्ति, विदेशी मुद्रा ऋण और वर्तमान देयताओं को वर्ष के अंत में दिए गए विनिमय दर पर परिवर्तित किया जात है और इसके परिणामस्वरूप यदि स्थिर आस्तियों और, अन्य मामलों में संबंधित विदेशी मुद्रा देयता को राजस्व के रूप में विचार किया जाता है तो लाभ/हानि को स्थिर आस्तियों के लागत में समायोजित किया जाता है।

9. पट्टा

9.1 पट्टा किराया को पट्टा अवधि के संदर्भ में व्यय किया जाता है।

10. सेवानिवृत्ति संबंधी लाभ

10.1 कर्मचारी की मुत्यु / सेवानिवृत्ति के समय देय ग्रेच्युटी संबंधी देयता को वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर जोड़ा जाता हैं।

10.2 कर्मचारियों के संगृहीत अवकाश नकदीकरण लाभ उपबंध को यह मानकर जोड़ा और परिकलित किया जाता है कि कर्मचारी प्रत्येक वर्ष की समाप्ति पर लाभ प्राप्त करने के हकदार है।

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड

हस्त0 डॉ नवरंग सैनी पूर्णकालिक सदस्य, (वित्त एवं लेखा), आईबीबीआई हस्त0 श्री ज्ञानेश्वर सिंह अध्यक्ष,लेखा परीक्षा समिति, आईबीबीआई

हस्त0 डॉ एम. एस. साहू अध्यक्ष, आईबीबीआई



अनुसूची— **XXIII** अनिश्चित दायित्व और लेखाओं पर टिप्पणियां

1. अनिश्चित दायित्व

- 1.1 इकाई के विरूद्ध दावों को रू० शून्य (पूर्व वर्ष-रू० शून्य) ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा
- 1.2 निम्नलिखित के संबंध में इकाई द्वारा / की ओर से दी गई बैंक गारंटी — रू० शून्य (पूर्व वर्ष—रू० शून्य)

कंपनी की ओर से बैंक द्वारा खोले गए साख पत्र — रू० शून्य (पूर्व वर्ष—रू० शून्य)

बैंकों के साथ बिल में छूट — रू0 शून्य (पूर्व वर्ष—रू0 शून्य)

1.3 निम्नलिखित के संबंध में विवादस्पद मांगें आयकर — रू० शून्य (पूर्व वर्ष—रू० शून्य)

जी०एस०टी०-रू० शून्य (पूर्व वर्ष-रू० शून्य)

नगर निगम कर-रू० शून्य (पूर्व वर्ष-रू०शून्य)

1.4 पक्षों से आदेशों के गैर—निष्पादन हेतु दावों, परंतु इकाई द्वारा समर्थन किए जाने के कारण किए गए दावों के संबंध में — रू० शून्य (पूर्व वर्ष— रू० शून्य)

2. पूंजीगत प्रतिबद्धता

चालू पूंजी कार्य के लिए बकाया राशि रू० 46,32,374/— जो एनबी०सी०सी० को फर्नीचर एवं फिक्सर/मयूर भवन के परिसर के नवीनीकरण हेतु मार्च, 2018 के अंत तक देय था। राशि पूंजी व्यय के लिए प्राप्त अनुदान सहायता के खिलाफ प्रदान की गयी। (पूर्व वर्ष रू०—शून्य)

3. पट्टा बाध्यताएं

सयंत्र और मशीनरी के वित्तीय पट्टा व्यवस्था के अधीन दिए गए किरायों के संबंध में भविष्य की बाध्यताएं की राशि — रू० शून्य (पूर्व वर्ष— रू० शून्य)

4. वर्तमान आस्तियां, ऋण तथा अग्रिम

प्रबन्धकों के मतानुसार वर्तमान आस्तियां, ऋण और अग्रिमों का सामान्य व्यवसाय में वसूली मूल्य है, जो तुलन पत्र में दर्शाये गए योगफल राशि के समान है।



5. कराधान

एम0सी0ए0 द्वारा अधिसूचना सं0—423 (ई) तारीख 01 मई—2018 के तहत अधिसूचित बोर्ड की अधिसूचित लेखा नीति की अनुसूची—XXIII के पैरा—5 को देखते हुए जो कहता है आयकर अधिनियम 1961 के तहत कर योग्य आय न होते हुए आयकर हेतु प्रावधान की कोई आवश्यक्ता नहीं समझी गयी। प्रयाप्त सावधानी के बावजूद बोर्ड ने पत्र सं0 आईबी0बी0आई/एफ0एड०ए०/आइ०टी० एंड टी0डी0एस0 छूट/72/2017—18 तारीख 15 नवंबर 2017 के अधीन आयकर अधिनियम 1961 की धारा—10 के खड़—46 के तहत आयकर छूट हेतु आवेदन दाखिल किया है। (पूर्व वर्ष—रू० शून्य)

6. विदेशी मुद्रा संव्यवहार

- 6.1 सी0आई0एफ0 आधार पर गणना की गई आयातों का मूल्यः लागू नही
 - तैयार मालों का क्रय
 - कच्चा माल और संघटक (ट्रांजिट सहित)
 - पूंजी माल
 - मंडार, अतिरिक्त उपभोग्य वस्तुऐं

6.2 विदेशी मुद्रा में व्यय

(1) यात्रा (वर्तमान वर्ष-रू० 41,26,245/-) (पूर्व वर्ष-रू० शून्य)

बोर्ड ने वित्त वर्ष 2017—18 के दौरान सिंगापुर, आस्ट्रेलिया, मलेशिया तथा यू०के० के लिए अध्ययन दौरे आयोजित किये थे। अध्यक्ष, पूर्णकालिक सदस्यों, एन०सी०एल०टी० सदस्यों के यात्रा एवं अन्य प्रबंध भारतीय उच्चयोग द्वारा किये गये थे। सामान्यता इस प्रकार किये गये खर्चों का बिल संबंधित मंत्रालयों तथा संगठनों से विदेश मंत्राालय वसूल करता है। यू०के० दौरे के बिल प्राप्त नहीं हुए है तथा इस लिए प्रदान नहीं किये गये है। विदेश मंत्राालय से बिलों के प्राप्त होने पर उन्हें विधिवत् रूप से प्रदान तथा भुगतान कर दिया जायेगा।

- (2) वित्तीय संस्थानो / बैंको को विदेशी मुद्रा में भुगतान किए गए नकद और ब्याज (चालू वर्ष—रू० शून्य) (पूर्व वर्ष रू०—शून्य)
- (3) अन्य व्यय (चालू वर्ष—अंतराष्ट्रीय दिवाला विनियामक संध को सदस्यता शुल्क के रूप में रू० 48,392/—का भुगतान किया गया) (पूर्व वर्ष— रू० शून्य)
- (4) विक्रय पर कमीशन (चालू वर्ष-रू० शून्य)(पूर्व वर्ष- रू० शून्य)
- (5) विधिक और व्यवसायिक व्यय (चालू वर्ष—रू० शून्य) (पूर्व वर्ष—रू० शून्य
- (6) प्रकीर्ण व्यय (चालू वर्ष-रू० शून्य) (पूर्व वर्ष- रू० शून्य)
- 6.3 विदेशी मुद्रा में उपार्जन (चालू वर्ष-रू० शून्य) (पूर्व वर्ष-रू० शून्य)
- 6.4 लेखा परीक्षको का पारिश्रमिक लेखा परीक्षक के रूप में
 - कराधान संबंधी मामले



- प्रबन्ध सेवाओं के लिए
- प्रमाणीकरण के लिए
- अन्य (चालू वर्ष—रू० ७१,५००) (पूर्व वर्ष—रू० शून्य)

7. सरकारी अनुदान

सरकारी अनुदान हेतु लेखा प्रणाली आई०सी०ए०आई के लेखा मानक बोर्ड (ए०एस०सी०) द्वारा जारी किये गये लेखा मानक-12(अब आई०एएस०-20) के अनुसार आयोजित की गयी है। अनुदानों को संबंन्धित लागतों से मिलान करने के लिए आवश्यक अवधि से आय के रूप में मान्यता दी जाती है जिसके लिए कमबद्ध रूप से क्षतिपूर्ति के लिए वे आशय रखते है।

बोर्ड की निधि, दिवाला एवं अक्षमता कोड 2016 की धारा-222 के प्रावधानों के अनुसार गठित की गयी

- 1. दिवाला एवं अक्षमता बोर्ड की निधि नामक निधि गठित की जायेगी—
- (क) इस कोड के तहत बोर्ड द्वारा प्रापत सभी अनुदान ,फीस तथा प्रभार
- (ख) जैसा कि केन्द्रीय सरकार द्वारा निश्चित कियेँ जाये ऐसे अन्य स्त्रोतों से बीर्ड द्वारा प्राप्त सभी रकम
- (ग) ऐसी अन्य निधिया जो बोर्ड द्वारा विनिदिष्ट अथवा केन्द्र सरकार द्वारा निर्घारित किया गया हो। 2. निधि लागू होगी:--
- (क) बोर्ड के सदसयो, अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन, भत्ते तथा अन्य पारिश्रमिक
- (ख) धारा–196 के तहत बोर्ड के कार्यों के निष्पादन में खर्च
- (ग) इस कोड द्वारा प्राधिकृत उददेश्यों तथा प्रयोजनों पर खर्च
- (घ) ऐसा अन्य कोई प्रायोजन जो विनिदिष्ट हो।

31.03.2018 की स्थिति के अनुसार निधि के घटक निम्नानुसार है-

| विवरण | (राशि रू०) |
|---|-------------|
| वर्ष–के अंत में स्थिर आस्तियां (नेट) | 1,11,91,205 |
| सहायक पूंजी में अनुपयागित अनुदान | 1,23,53,686 |
| एन०आई०सी०एस० ई०आफिस हेतु प्रदत्त अग्रिम | 20,20,160 |
| वर्ष–के अंत में अतिशेष निधि का योग | 2,55,65,051 |

7.1 कार्पोरेट कार्य मंत्रालय ने अपने तारीख 27 जुलाई-2017 के पत्र सं0-30/13/2016 दिवाला अनुभाग के तहत अनुदान सहायता सामान्य के खिलाफ आईबी०बी०आई द्वारा अधिसूचित अधिनियमों के प्रकाशन हेतू क्त0 16,99,500 / – अंतरित करने के लिए प्रकाशन नियत्रंक भारत सरकार नई दिल्ली को आदेश जारी किया था । एम०सी०ए० ने अपने तारीख 27 जुलाई 2017 के पत्र सं0-30/13/2016 दिवाला अनुभाग के तहत सूचित किया था कि प्रकाशन नियंत्रक ने 2016–17 में कथित राशि आहरित नही की थी तथा एम0सी0ए0 से संबंधित बजट में बिना खर्च राशि शेष रही थी। तथापि एम0सी0ए0 ने अपने तारीख 23 फरवरी 2018 के पत्र सं0-30/13/2016 दिवाला अनुभाग के तहत सूचित किया है कि उक्त धनराशि वित्त वर्ष 2017-18 में अदा की गयी है । बोर्ड ने उसका हिसाब किताब वर्ष 2016—17 में किया था तथा उसका चालू वित्त बर्ष में कोई प्रभाव नही दिया गया है।

7.2 अनुदान सहायता सामानय तथा वेतन के तहत निधियों की कमी बोर्ड द्वारा सुजित आंतरिक राजस्व तथा अनुदान सहायता पूंजी से उपयोग के जरिये पूरी की गयी है। बोर्ड ने वेतन एवं सामान्य संबंधी व्यय को पूरा करने के लिए अनुदान सहायता पूंजी से कमी का नियिमितीकरण के लिए एम०सी०ए० को तारीख 13 जून, 2018 के पत्र में लिखा है।



8. आस्थगित ऋण देयताऐं

भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड (जनशिकायत एवं शिकायत संभालने की प्रक्रिया) विनियम, 2017 से सेवा प्रदाताओं के खिलाफ जन शिकायत तथा शिकायत दाखिल करने का प्रावधान करती है जिसमें विनियम सं0—7(8) कहता है कि जब बोर्ड की राय है कि शिकायत असार नहीं है, विनियमन सं0—3 के उपविनियमन (3) के तहत रू० 2500/— की फीस वापस करेगी। शिकायतों के लिए प्राप्त राशि रू० 37,500/— जो प्रक्रियाधीन है को अनुसूची—VI "आस्थिगित ऋण देयताऐं" के तहत देयताओं के रूप में रखा गया है। (पूर्व वर्ष— रू० शून्य)

9. दीर्घ अवधि निवेश

बोर्ड ने चालू वित्त वर्ष के दौरान दीर्घ अवधि निवेश नही किये हैं।

10. फुटकर लेनदारों में एन0बी0सी0सी0 के चल रहे कार्य हेतु देय रू० 46,32,374 / — तथा रू० 2,88,365 / — की शेष विकेताओं को दिये जाने वाली धनराशि शामिल है जो स्वभाव से नियमित है। (पूर्व वर्ष— रू० 58,703 फुटकर लेनदारों को चालू वित्त बर्ष में अदा कर दिये गये है)

11. सावधिक देयताएं

11.1 ब्याज सिहत सी0पी0एफ0 की ओर रू0 83,34,345 / – की राशि का अंशदान साविध जमा के रूप में रखा गया है तथा मासिक अंशदान को पंजाब नेशनल बैंक के आवर्ती जमा खातें में अंतरित कर दिया गया है।(पूर्व बर्ष ब्याज सिहत सी0पी0एफ0 अंशदान के रूप में शेष रू0 7,20,031 था)

11.2 चालू वर्ष स्रत्रोतों पर कर कटौती (टी०डी०एस०) रू० 19,77,189 / — विधिवत रूप से आयकर प्राधिकारियों के पास देय अविध के भीतर अगले वित्तीय वर्ष 2018—19 में अप्रैल माह में जमा कर दिये गये। (पूर्व वर्ष के टी०डी०एस० रू० 2,17,026) अप्रैल 2017 में जमा कर दिये गये है।

12. रू० 10,00,000 / – की राशि सिक्योरिटी डिपाजिट के रूप में बम्बई स्टाक एक्सचेज से प्रशासन एवं ऑन लाइन मूल्यांकन परीक्षण हेतु प्राप्त हुई है। (पूर्व वर्ष– रू० शून्य)

13. सेवा निवृत्ति लाभ हेतु प्रावधान

13.1 आईबी०बी०आई० अध्यक्ष एवं सदस्य गण के वेतन तथा सेवा की अन्य निबन्धन एवं शर्ते नियमावली 2016 के नियम 4(3) के अनुसरण में कहा गया है कि अध्यक्ष अथवा पूर्ण— कालिक सदस्य के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति के मामले में भारत सरकार के सचिव अथवा अपर सचिव के लिए कमशः अनुमत्य वेतन प्राप्त करने का विकल्प होगा जो केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य से सेवा निवृत्त हुए हो तथा जो पेंशन, ग्रेच्युटी अंशदायी भविष्य निधि हेतु नियोक्ता का अंशदान अन्य निधि अथवा सेवानिवृत्ति लाभ के रूप में प्राप्त करते हो अथवा प्राप्त किये हो अथवा किसी प्रकार के सेवा निवृत्ति लाभ पाने के हकदार हो गये हों। ऐसे अध्यक्ष अथवा सदस्यों के वेतन एव भत्तों में यथास्थिति पेंशन की सकल राशि तथा ग्रेच्युटी के समान पेंशन अथवा अंशदायी भविष्य निधि में नियोक्ता का अंशदान अथवा सेवा निवृत्ति लाभ के किसी भी रूप में, यदि कोई हो आहरित अथवा उसके द्वारा आहरित लाभ को घटा दिया जायेगा। अध्यक्ष तथा पूर्ण—कालिक सदस्य (डब्लू०टी०एम०) हेतु ग्रेच्युटी एवं छुटटी नकदीकरण का कोई प्रावधान नही किया गया है। (पूर्व वर्ष—रू० शून्य)



13.2 कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के नियमों अथवा पैत्रक संगठनों से प्राप्त आदेशों के अनुसार केन्द्रीय /राज्य सरकार से प्रतिनियुक्ति पर अधिकारियों हेतु रू० 2,55,068 / —छुटटी वेतन अंशदान तथा रू० 2,12,950 / — पेंशन के सेवानिवृत्त लाभ पाने का प्रावधान है। बोर्ड उन अधिकारियों को ग्रेच्युटी आदि का भुगतान के लिए देनदार नहीं है जो भारत सरकार से प्रतिनियुक्ति पर है।(पूर्व वर्ष—रू० शून्य)

13.3 प्रतिनियुक्ति पर अन्य अधिकारियों के मामले में संबंधित पैतृक संगठनों द्वारा संसूचित आदेशों / निर्देशों सेवाशर्तों की तर्ज पर प्रावधान किये गये है।

13.4 बोर्ड में दूसरे दर्जे के अधिकारियों के लिए सेवानिवृत्ति लाभ हेतु प्रावधान नहीं किये गये है।


13.5 बोर्ड का वर्तमान अपना कोई संवर्ग नहीं है। इसलिए चालू वित्तीय वर्ष ग्रेच्युटी तथा संचयी छुटटी के नकदीकरणों के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

- 14. एम0सी0ए0 के 11 अप्रैल, 2018 के पत्र सं0 आई—1102/01/2016—इनफरा के तहत जारी निर्देशानुसार 15 नवम्बर, 2017 से 31 मार्च, 2018 तक की अवधि जीवन विहार परिसर के लिए देय किराये के लिए के लिए रू0 98,18,000/— का प्रावधान किया गया है। (पूर्व वर्ष— रू0 शून्य)
- 15. पैतृक संगठनों से प्रतिनियुक्ति पर आने वाले अधिकारियों तथा दूसरे दर्ज के अधिकारियों के संबंध में देय बकाया वेतन रू० 88,69,429 / हेतु प्रवधान कर दिया गया है।
- 16. अनुसूची—XIII फीस / अंशदान के तहत रू० 21,67,000 / के आवेदन शुल्क (जी०एस०टी० का नेट), जो ग्रेड ए अधिकारियों की भर्ती के लिए है, को आय के रूप में बुक किया गया है तथा अनुवर्ती व्यय रू० 21,99,251 / जी०एस०टी० का नेट जो बैिकंग कार्मिक चयन संस्थान को देय है का भी प्रावधान किया गया है।
- 17. चालू वित्त वर्ष में अखिल भारतीय लेखा परीक्षक एवं लेखाकार परिषद को आंतरिक लेखा परीक्षा हेतु देय रू० 71,500/— लेखापरीक्षा शुल्क का प्रावधान किया गया है। उस शुल्क का भुगतान भी किया जा चुका है।(पूर्व वर्ष— रू० शून्य)

18. अचल संपत्तियां

18.1 आईबी०बी०आई की लेखा नीति सं0—7.2 के अनुसार तथा कार्पोरेट कार्य मंत्रालय (एम०सी०ए०)द्वारा अधिसूचित ए०एस०—12 की तर्ज पर अधिग्रहीत विनिदिष्ट संपत्तियों के बारे में अनुदानों को संबंधित संपत्तियों की लागत से घटाया हुआ दर्शाया जाता है। एम०सी०ए० ने वित्त वर्ष—2016—17 में आईबी०बी०आई को रू० 14,76,563 / — के बराबर अचल संपात्तियों हेतु गैर मौद्रिक अनुदान जारी किया था। आईबी०बी०बाई—नीति सं0—7.2 तथा विनिदिष्ट अचल संपत्तियों के बारे में प्राप्त ए०एस०—12 अनुदानों के अनुसरण में संबन्धित अचल सम्पत्ति की लागत से घटाया गया है तथा चालू वित्त बर्ष के दौरान रू—1 / — की सामान्य दर पर अचल संमपत्तियों को दर्शाया गया है। तद्नुसार पूर्व वर्ष में अचल सम्पत्तियों के खिलाफ 60 प्रतिशत की दर पर रू० 8,85,937 / — का प्रदान किया गया मूल्य ह्रास रिजर्व चालू वित्तीय वर्ष में पलट दिया गया है।

18.2 पूर्व वर्ष 2016—17 में अचल संपत्तियों के तहत रू० 12,863/— की धनराशि को भूलवश दर्शाया गया था जिसे चालू विततीय बर्ष के दौरान सुधार करके खर्च के रूप में बुक किया गया है। तदृनुसार पूर्व वित्त





वर्ष में अचल संपत्तियों को 60 प्रतिशत की दर से रू० 7,718/— के मूल्यहास रिजर्व प्रदान किया गया था जिसे चालू वित्तीय वर्ष में पलट दिया गया

19. मूल्य हास

19.1 आयकर अधिनियम 1961 में यथा निर्धारित दरों के अनुसार प्रत्यक्ष तरीके से मूल्य ह्रास प्रदान किया जाता है जो निम्नानुसार है—

| संपत्तियां | मूल्य हास की दर |
|--|-----------------|
| कम्प्यूटर/बाहय उपकरण/सॉफटवेयर /हार्डवेयर | 40 प्रतिशत |
| कार्यालय उपकरण और फर्नीचर एवं फिक्चर्स | 10 प्रतिशत |

19.2 पूर्व वर्ष के रू0 9,72,475 / — के मूल्यहास रिजर्व को पूर्व वर्ष के अधिशेष से घटा दिया गया है। तथा मूल्यहास लेखानीति को एकरूपता से अनुसरित करने हेतु पूर्व वर्ष की अचल संपत्तियों से अनुवर्ती घटौती कर दी गयी है।

19.3 पुस्तकालय की पुस्तकों को राजस्व व्यय के रूप में माना गया है तथा आय एवं व्यय लेखा में डाला गया है।

20. 1.फुटकर कर्जदार रू० 5,54,600/— असुरक्षित है तथा अच्छा माने गये है । इसमें रू० 4,64,600/— की राशि दिवाला पेशेवरों के रजिस्ट्रेशन के रूप में शामिल है जिसे अप्रैल 2018 में विधिभार रूप में प्राप्त किया गया है।

20.2 आई०बी०सी० 2016 की धारा 196 के तहत बोर्ड विनिदिष्ट समय के भीतर एवं तरीके से सीमित दिवाला परीक्षण स्वयं द्वारा अथवा पदनामित एजेन्सी से कराएगा। बोर्ड ने 31.12.2016 से राष्ट्रीय प्रतिभूति बाजार संस्थान (एन०आई०एस०एम०) को परीक्षण करने के लिए अधिकृत किया है। बोर्ड ने 30. 08.2017 को प्रति आवेदक पंजीकरण शुलक हेतु रू—1000/— से बढाकर रू० 1500/— करने का निर्णय लिया है तथा एनआईएसएम 01.09.2017 से प्रति नामांकन के लिए रू० 500/— की दर से आइबीबी०आई को प्रतिपूर्ति करेगा। 01.09.2017 से 31.03.2018 तक कुल आवेदको की संख्या 8477 है। बोर्ड ने (500*8477) की दर से चालू वित्तीय वष में कुल रू० 42,38,500/— की आय प्रोदभूत की हुई है।

21. बोर्ड रू० 50,000 / — की अनुमोदित सीमा के साथ छोटे नकद के अग्रिम सिस्टम का रख रखाव करता है।

22. बैंक खातों में दर्शायी गयी शेष राशि

पंजाब नेशनल बैंक में शेष राशि निम्न प्रतिनिधत्व करती है-

चालू खाते में-रू० 3,11,742/-जमा (पूर्व वर्ष रू० 6,53,58,414/-)

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड



स्वीप खातें में—रू० 2,83,36,194 / —नेट (पूर्व वर्ष रू० शून्य) (सी०पी०एफ० हेतु लम्बित अंतरण हेतु वितरित रू० 21,13,806 / —)

सावधि जमा खातें में-रू० 87,00,000 / - नेट (पूर्व वर्ष रू० शून्य)

- 23. ई आफिस हेतु चालू वित्तीय वर्ष के दौरान राष्ट्रीय सूचना केन्द्र सेवाओं को रू० 20,20,160/— के अग्रिम को पूर्व प्रदत्त खर्ची में शामिल किया गया है।
- 24. बोर्ड पंजाब नेशनल बैंक में स्वीप सुविधा सिहत चालू खाता रखता है तथा उप पर अर्जित ब्याज रू० 4,48,413 / — है।
- 25. अनुसूची स्थापना खर्च के तहत वेतन में प्रतिनियुक्ति पर आये अधिकारियों के लिए छुटटी वेतन अंशदान, पेंशन फड, नियोक्ता भविष्य निधि तथा छुटटी नकदीकरण पर व्यय शामिल है।
- 26. भारतीय जी०ए०ए०पी० की पुष्टि में वित्तीय विवरणियों की तैयारी के तहत बोर्ड से अपेक्षा है कि वह अनुमान तथा प्राकलन तैयार करें जो संपतितयों की राशि, देयताओं ,आय तथा व्यय की सूचित राशि को प्रभावित करता है। यद्वपि यह विश्वास किया जाता है कि वित्तीय विवरणियों की तैयारी में प्रयोग किये गये प्राककलन विवेकी एवं उचित है, वास्तविक परिणाम प्राक्कलनों से भिन्न हो सकते है। वास्तविक परिणाम व प्राक्कलनों में अंतर को संबंधित लेखा शीर्षकों में आय/व्यय में उस अविध में जिसमें परिणाम को जाना गया होता है, पहचाना जा सकता है।
- 27. पूर्व वर्ष हेतु अनुवर्ती आकड़ों को जहां कही आवश्यक्ता हो पुनः एकत्रित / पुनः व्यवस्थित किया गया है।
- 28. अनुसूची—I से XXIII 31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र तथा उसी तारीख में समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा में संलग्न किये जाते है तथा महत्वपूर्ण भाग बनते हैं।

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड

हस्त0 डॉ नवरंग सैनी पूर्णकालिक सदस्य, (वित्त एवं लेखा), आईबीबीआई हस्त0 श्री ज्ञानेश्वर सिंह अध्यक्ष,लेखा परीक्षा समिति, आईबीबीआई

हस्त0 डॉ एम. एस. साहू अध्यक्ष, आईबीबीआई



लेखा परीक्षा प्रेक्षणों का अनुपालन

| क- मुख्य | । रिपोर्ट | |
|----------|--|---|
| क्र0सं0 | लेखा परीक्षा प्रेक्षण | लेखा परीक्षा प्रेक्षणों के उत्तर |
| 4(IV)(क) | | बैंक ने गलती से चालू खाता खोल दिया था |
| | लाख | जिसपे ब्याज की देयता नही थी। बोर्ड बैंक |
| | देय ब्याज में वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 हेतु | को गलती सुधारने के लिए राजी कर रहा था |
| | रू० 29.85 लाख की राशि प्राप्त नहीं होने के | जबिक बैंक वह करने को तैयार नहीं था। |
| | कारण उपरोक्त का शामिल नही किया गया है। | इसलिए ब्याज व उसकी रकम हेत् |
| | इसके परिणाम अर्जित ब्याज, अधिशेष तथा | अनिच्शतता थी। परिणाम स्वरूप ब्याज बुक |
| | वर्तमान आस्तियों, ऋणों तथा अग्रिमों को | नही किया जा सका। बोर्ड तथापि गलती |
| | रू० २९.८५ लाख से कम दिखाया गया है। | सुधारने के लिए बैंक के उच्च प्रबंधन से |
| | | लगातार मामले का अनुसरण करता रहा तथा |
| | 2/00- | वर्ष के अंत उपरांत सफल हुआ। |
| | परीक्षा रिपोर्ट का अनुलग्नक | |
| 1 | आंतरिक लेखा परीक्षा पद्वति की पर्याप्तता | _ |
| | आई०बी०बी०बाई० में कोई आंतरिक लेखा परीक्षा | |
| | शाखा नही है। वर्ष 2017—18 में बाहय एजेन्सी | |
| | द्वारा आंतरिक लेखा-परीक्षा कराया गया है। | |
| 2 | आंतरिक नियंत्रण परीक्षा पद्वति की पर्याप्तता | _ |
| | आई०बी०बी०बाई० में आंतरिक नियंत्रण पद्वति | |
| | संगठन आकार के अनुसार है। | |
| 3 | स्थिर आस्तियों के भैतिक सत्यापन की पद्वति | _ |
| | वर्ष 2017—18 के दौरान आई०बी०बी०बाई० में | |
| | स्थिर आस्तियों का भौतिक सत्यापन किया गया | |
| 4 | था। | |
| 4 | सूची के भौतिक सत्यापन की पद्वति | _ |
| | 31 मार्च–2018 को आई०बी०बी०बाई० की | |
| E | पुस्तकों में कोई सूची नही हैं। | |
| 5 | साविधिक देयों के भुगतान में नियमितता | _ |
| | साविधिक देयां के भुगतान में सामारणतः | * |
| | आई०बी०बी०बाई० नियमित है। | |



ANNUAL ACCOUNTS 2017-18





INSOLVENCY AND BANKRUPTCY BOARD OF INDIA

ANNUAL ACCOUNTS 2017-18

Insolvency and Bankruptcy Board of India
7th Floor, Mayur Bhawan, Shankar Market, Connaught Circus,
New Delhi -110001

Telephone: +91 11 2346 2900

Website: ibbi.gov.in





INDEX

| Sr. No. | Particulars | Page No. |
|---------|--|----------|
| 1. | Introduction | 4 |
| 2. | Audit Report of Comptroller & Auditor General of India | 5 |
| 3. | Annexure to Audit Report | 8 |
| 4. | Balance Sheet | 9 |
| 5. | Income & Expenditure Account | 10 |
| 6. | Receipt & Payment Account | 11 |
| 7. | Schedules to Balance Sheet | 12 |
| 8. | Schedules to Income & Expenditure Account | 19 |
| 9. | Significant Accounting Policies | 23 |
| 10. | Contingent Liabilities and Notes on Accounts | 26 |
| 11. | Compliance to Audit observations | 34 |

INTRODUCTION

The Insolvency and Bankruptcy Board of India (the Board) was established on 1st October, 2016 in accordance with the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (Code). It is a key pillar of the ecosystem responsible for implementation of the Code that consolidates and amends the laws relating to reorganization and insolvency resolution of corporate persons, partnership firms and individuals in a time bound manner for maximisation of the value of assets of such persons, to promote entrepreneurship, availability of credit and balance the interests of all the stakeholders.

The Board has regulatory oversight over the Insolvency Professionals, Insolvency Professional Agencies, Insolvency Professional Entities and Information Utilities. It writes and enforces rules for processes, namely, corporate insolvency resolution, corporate liquidation, individual insolvency resolution and individual bankruptcy under the Code. It is tasked to promote the development of, and regulate, the working and practices of, insolvency professionals, insolvency professional agencies and information utilities and other institutions, in furtherance of the purposes of the Code. It has been designated as the 'Authority' under the Companies (Registered Valuers and Valuation Rules), 2017 for regulation and development of the profession of valuers in the country.

Section 223(1) of the Code requires that the Board shall maintain proper accounts and other relevant records and prepare an annual statement of accounts in such form as may be prescribed by the Central Government in consultation with the Comptroller and Auditor General of India (C&AG). Accordingly, the Central Government has, vide notification dated 1st May, 2018, made the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Form of Annual Statement of Accounts) Rules, 2018.

Section 223 (2) of the Code requires that the accounts of the Board shall be audited by the C&AG at such intervals as may be specified by him. Accordingly, the C&AG has audited the accounts of the Board for the financial year 2017-18 and forwarded the Audit Report vide letter no. RAP/AI/NR/78/2018-19/IBBI/A/c/2017-18/1223 dated 29th January, 2019.

This report presents the accounts of the Board for the financial year 2017-18, as certified by the C&AG, in the prescribed format and the audit report thereon. This is being forwarded to the Central Government in accordance with section 223(4) of the Code.

Separate Audit Report of the Comptroller & Auditor General of India on the Accounts of Insolvency and Bankruptcy Board of India (IBBI) for the year ended 31 March 2018

- 1. We have audited the attached Balance sheet of INSOLVENCY AND BANKRUPTCY BOARD OF INDIA (IBBI) as at 31 March 2018 and the Income and Expenditure Account/Receipts and Payments Account for the year ended on that date under section 19(2) of the Comptroller & Auditor General's (Duties, Power & Conditions of Service) Act, 1971 read with Section 223(2) of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016. These financial statements are the responsibility of IBBI's management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit
- 2. This Separate Audit Report contains the comments of the Comptroller & Auditor General of India (C&AG) on the accounting treatment only with regard to classification, conformity with the best accounting practices, accounting standards and disclosure norms etc. Audit observations on financial transactions with regard to compliance with the Laws, Rules & Regulations (Propriety and Regularity) and efficiency-cum-performance aspects etc., if any, are reported through Inspection reports/CAG's Audit Report separately.
- 3. We have conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. These standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatements. An audit includes examining, on a test basis, evidences supporting the amount and disclosure in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of financial statements. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.
- 4. Based on our audit, we report that:
 - i. We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit.
 - ii. The Balance Sheet, Income and Expenditure Account/Receipts and Payments Account dealt with by this report have been drawn up in the format of Accounts approved under The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Form of Annual Statement of Accounts) Rules 2018.
 - iii. In our opinion, proper books of accounts and other relevant records have been maintained by IBBI as required under Section 223(1) of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016, in so far as it appears from our examination of such books.

iv. We further report that:

A. Income and Expenditure Account

Income

Interest Earned (Schedule XVI) ₹ 4.48 lakh

The above does not include interest due but not received amounting to ₹ 29.85 lakh for the period 2016-17 and 2017-18. This has resulted in understatement of Interest Earned, Surplus and Current Assets, Loans and Advances by ₹ 29.85 lakh.

B. Grants-in-aid

The factual position of Grants-in-aid received and utilized by IBBI during the year 2017-18 and the unspent balance of Grants-in-aid as on 31 March 2018 is as follow:

(₹ in lakh)

| Budget Head | Opening Balance | Grants Received | Cumulative Balance | Grants Utilized | Unspent Balance |
|---|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| Grants-in-aid (General) | 157.23 | 333.00 | 490.23 | 490.23 | - |
| Grants-in-aid (Salary) | 208.01 | 300.00 | 508.01 | 508.01 | |
| Grants-in-aid (Capital)-IT related | 96.91 | - | 96.91 | 19.91* | 77.00 |
| Grants-in-aid (Capital)-Mayur Bhawan Premises Work | 92.86 | - | 92.86 | 46.32 | 46.54 |
| Total | 555.01 | 633.00 | 1188.01 | 1064.47 | 123.54 |

(Data as per information furnished by Management)

v. Subject to our observations in the preceding paragraphs, we report that the Balance Sheet and Income and Expenditure Account/Receipts and Payments Account dealt with by this report are in agreement with the books of account.

^{*}Grant utilized for setting off excess of Salary and General Expenses.

- vi. In our opinion and to the best to our information and according to the explanations given to us, the said financial statements read together with the Accounting Policies and Notes on Accounts, subject to significant matters stated above and other matters mentioned in Annexure to this Separate Audit Report, give a true and fair view in conformity with accounting principles generally accepted in India
 - a. In so far as it relates to the Balance Sheet, of the state of affairs of INSOLVENCY AND BANKRUPTCY BOARD OF INDIA as at 31 March 2018; and
 - b. In so far as it relates to the Income & Expenditure Account of the surplus for the year ended on that date.

For and on behalf of the Comptroller and Auditor General of India

Sd/-

Place: New Delhi Principal Director of Commercial Audit
Dated: 29-01-2019 & Ex-Officio Member, Audit Board-I,

Annexure to Separate Audit Report of INSOLVENCY AND BANKRUPTCY BOARD OF INDIA for the year 2017-18

1. Adequacy of Internal Audit System

There is no internal audit wing in the IBBI. Internal audit for the year 2017-18 was done by external agency.

2. Adequacy of Internal control system

Internal control system in IBBI is commensurate with the size of the organisation.

3. System of physical verification of fixed assets

Physical verification of fixed assets was carried out in IBBI during 2017-18.

4. System of physical verification of inventory

There is no inventory in the books of IBBI as on 31 March 2018.

5. Regularity in payment of statutory dues

IBBI is generally regular in payment of statutory dues.

Form -'A' INSOLVENCY AND BANKRUPTCY BOARD OF INDIA BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH, 2018

| | | (Amount in Rs.) | |
|--|----------|-----------------|---------------|
| FUND AND LIABILITIES | Schedule | Current Year | Previous Year |
| Fund | I | 2,55,65,051 | 6,52,86,803 |
| Reserves and Surplus | II | - | - |
| Earmarked/Endowment Funds | III | _ | - |
| Secured Loans and Borrowings | IV | _ | - |
| Unsecured Loans and Borrowings | V | _ | - |
| Deferred Credit Liabilities | VI | 37,500 | - |
| Current Liabilities and Provisions | VII | 3,88,15,404 | 9,95,760 |
| TOTAL | | 6,44,17,955 | 6,62,82,563 |
| ASSETS | | | |
| Fixed Assets | VIII | 1,11,91,205 | 8,72,445 |
| Investments - From Earmarked/Endowment Funds | IX | - | - |
| Investments - Others | X | 83,34,345 | |
| Current Assets, Loans and Advances | XI | 4,48,92,405 | 6,54,10,118 |
| Miscellaneous Expenditure (to the extent not written of or adjusted) | | - | J1 |
| TOTAL | | 6,44,17,955 | 6,62,82,563 |
| Significant Accounting Policies | XXII | | |
| Contingent Liabilities and Notes on Accounts | XXIII | | |

For INSOLVENCY AND BANKRUPTCY BOARD OF INDIA

Sd/-

Dr. Navrang Saini WTM (F&A)

Sd/-

Mr. Gyaneshwar Kumar Singh Chairperson, Audit Committee

Sd/-Dr. M. S. Sahoo Chairperson

Form-'B'

INSOLVENCY AND BANKRUPTCY BOARD OF INDIA INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED $31^{\rm ST}$ MARCH, 2018

(Amount in Rs.)

| | | | (Amount in Rs.) |
|--|----------|-----------------|------------------|
| INCOME | Schedule | Current Year | Previous Year |
| Grants/Subsidies | XII | 10,15,51,546 | 2,34,75,834 |
| Fees/Subscriptions | XIII | 3,25,70,442 | 89,73,000 |
| Income from Investments (Income on investment, from earmarked/endowment funds transferred to funds) | XIV | - | - |
| Income from Royalty, Publications etc. | XV | _ | |
| Interest Earned | XVI | 4,48,413 | - |
| Other Income | XVII | 22,100 | - |
| Total (A) | | 13,45,92,501 | 3,24,48,834 |
| EXPENDITURE | Schedule | Current Year | Previous Year |
| Establishment Expenses | XVIII | 5,93,59,996 | 66,98,830 |
| Other Administrative Expenses etc. | XIX | 7,34,51,776 | 1,67,77,004 |
| Expenditure on Grants, subsidies etc. | XX | - | _ |
| Interest | XXI | _ | |
| Depreciation (Net Total at the year end corresponding to Schedule VIII) | XXII | 17,74,372 | 9,72,475 |
| Total (B) | | 13,45,86,144 | 2,44,48,309 |
| Balance being excess of Income over Expenditure (A-B) Transfer to Special Reserve Transfer to/from General Reserve | | 6,357 | 80,00,525 |
| Balance Being Surplus (Deficit) Carried to Corpus/Capital Fund | | 6,357 | 80,00,525 |
| Significant Accounting Policies | XXII | | |
| Contingent Liabilities and Notes on Accounts | XXIII | | |

For INSOLVENCY AND BANKRUPTCY BOARD OF INDIA

Sd/-

Dr. Navrang Saini WTM (F&A) Sd/-

Sd/-

Mr. Gyaneshwar Kumar Singh Chairperson, Audit Committee Dr. M. S. Sahoo Chairperson



Form 'C' INSOLVENCY AND BANKRUPTCY BOARD OF INDIA RECEIPT AND PAYMENT ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2018

| | | | | (| Amount in Rs.) |
|---|--------------|---------------|--|--------------|----------------|
| RECEIPTS | Current Year | Previous Year | PAYMENTS | Current Year | Previous Year |
| I. Opening Balances | | | I. Expenses | | |
| (a) Cash in Hand | 35,104 | - | a) Establishment expenses (corresponding to Schedule XVIII) | 3,43,82,510 | 52,23,928 |
| (b) Bank Balance | | | b) Administrative Expenses (corresponding to Schedule XIX) | 5,90,18,376 | 45,62,263 |
| (i) In Current Accounts | 6,53,58,414 | - | c) Input GST | 23,53,459 | |
| (ii) In Deposit Accounts | - | :- | o, mpar co. | 20,00,109 | |
| (iii) Saving Accounts | - | - | | | |
| II. Grants Received | | | II. Payment made against funds for | | - |
| (a) From Government of India | 6,33,00,000 | 6.71.14.253 | various projects (Name of the fund or | | |
| (b)From Other Sources (Grants for Capital and Revenue Expenditure to be shown separately) | - | - | project should be shown along with the particulars of payment made for each project) | | |
| III. Income on Investment from | | | III. Investments and Deposits Made | | |
| (a) Earmarked/Endowment funds | :- | - | a) Out of Earmarked/Endowment funds | , н | - |
| (b) Own funds (Investment - others) | | - | b) Out of own funds (Investment - others) | 61,31,000 | - |
| IV. Interest Received | | | IV. Expenditure on Fixed Assets & Capital Work-in- Progress | | |
| (i) On Bank Deposits | 4,03,133 | 63,000 | a) Purchase of fixed Assets | 88,94,743 | 3,08,711 |
| (ii) Loans, advances etc. | - | - | b) Expenditure on Capital Work-in- progress | - | - |
| V. Other Income (Generated through internal resources) | | | V. Refund of surplus money/loans | | |
| Application Fees | 2,72,77,342 | 89,10,000 | a) To the Government of India | - | - |
| Miscellenous Income | 22,100 | | b) To other providers of funds | - | _ |
| VI. Amount Borrowed | - | | VI. Finance Charges (Interest) | - | - |
| VII. Any other receipts | | | VII. Other Payments | | |
| Security Deposit | 10,00,000 | - | a) Security Deposit | 1,62,000 | |
| Insolvency Professionals-Other Fees | 37,500 | | b) TDS Payment | 77,07,921 | 5,82,233 |
| Earlier year Advance Received | 6,600 | = | c) GST Payment | 11,52,094 | |
| Output GST Received | 32,69,948 | - | d) Loan and Advances | 20,20,160 | 16,600 |
| | | | VIII. Closing Balances | | |
| | | | a) Cash in Hand | 49,620 | 35,104 |
| | | | b) Bank Balances | ,020 | ,101 |
| | | | (i) In current Accounts & sweep a/c with PNB | 3,88,38,258 | 6,53,58,414 |
| | | | (ii) In Deposit Accounts | - | _ |
| | | | (iii) Savings Accounts | | |
| TOTAL | 16,07,10,141 | 7,60,87,253 | TOTAL | 16,07,10,141 | 7,60,87,253 |

For INSOLVENCY AND BANKRUPTCY BOARD OF INDIA

Sd/-Dr. Navrang Saini WTM (F&A)

Sd/-Mr. Gyaneshwar Kumar Singh Chairperson, Audit Committee

Sd/-Dr. M. S. Sahoo Chairperson

SCHEDULE - I FUND

(Amount in Rs.)

| | | (Amount in Ks.) |
|---|---------------|-----------------|
| | Current | Previous |
| | Year | Year |
| Balance as at the beginning of the year | 6,52,86,803 | - |
| Add: Contributions towards Fund | 6,33,00,000 | 8,07,62,112 |
| Less: Utilisation of Fund | | |
| (Refer Note no. 7 of Schedule XXIII) | -10,30,28,109 | -2,34,75,834 |
| Add/(Deduct): Balance of net income/ (expenditure) transferred from the | | |
| Income and Expenditure Account | 6,357 | 80,00,525 |
| BALANCE AS AT THE YEAR-END | 2,55,65,051 | 6,52,86,803 |

SCHEDULE – II RESERVES AND SURPLUS

(Amount in Rs.)

| | Current Year | Previous Year |
|---|--------------|---------------|
| Capital Reserve As per last Account Addition during the year Less: Deductions during the year | - | - |
| Revaluation Reserve As per last Account Addition during the year Less: Deductions during the year | - | - |
| 3.Special Reserves As per last Account Addition during the year Less: Deductions during the year | - | * |
| 4.General Reserve As per last Account Addition during the year Less: Deductions during the year | - | - |
| TOTAL | - | - |

For INSOLVENCY AND BANKRUPTCY BOARD OF INDIA

Sd/-

Sd/-

Sd/-

Dr. Navrang Saini WTM (F&A)

Mr. Gyaneshwar Kumar Singh Chairperson, Audit Committee Dr. M. S. Sahoo Chairperson

SCHEDULE – III EARMARKED/ENDOWMENT FUNDS

(Amount in Rs.)

| | | | | | (A | mount in Rs.) |
|---|-------|------|-------------|-------|-----------------|------------------|
| | | Fun | d Wise Brea | ak up | To | tals |
| | Fund | Fund | Fund | Fund | Current Year | Previous Year |
| (a) Opening balance of the funds | - | - | - | | | |
| (b) Additions to the Funds: | | | | | | |
| (i) Donations/grants | - | - | - | - | - | |
| (ii) Income from investments made on account of funds | - | - | - | - | - | - |
| (iii) Other additions (specify nature) | - | - | | | - | |
| Total (a + b) | | - | | | - | - |
| (c) Utilisation/Expenditure towards objectives of funds | | | | | | |
| (i) Capital Expenditure | - | - | - | - | - | |
| - Fixed Assets | * | - | - | | | 3 |
| - Others | - | - | - | - | - | - |
| Total | - | - | - | | - | - |
| (ii) Revenue Expenditure | | | | | | |
| - Salaries, Wages and allowances etc. | - (*) | - | | | - | |
| - Rent | - | - | - | - | - | - |
| - Other Administrative Expenses | * | | - | - | 18 | - 3 |
| Total | - | - | - | - | - | - |
| Total (c) | - | - | ÷ | | - | - |
| NET BALANCE AS AT THE YEAR END (a + b - c) | - | - | - | - | -2 | • |

For INSOLVENCY AND BANKRUPTCY BOARD OF INDIA

Sd/-Dr. Navrang Saini WTM (F&A) Sd/-Mr. Gyaneshwar Kumar Singh Chairperson, Audit Committee Sd/-Dr. M. S. Sahoo Chairperson



SCHEDULE – IV SECURED LOANS AND BORROWINGS

(Amount in Rs.)

| | Current Year | Previous Year |
|--|--------------|---------------|
| Central Government | - | |
| 2. Financial Institutions | | |
| (a) Terms Loans | - | |
| (b) Interest accrued and due | - | - |
| 3. Banks | | |
| (a) Term Loans Interest accrued and due | | _ |
| (b) Other Loans (specify) - Interest accrued and due | _ | _ |
| 4. Other Institutions and Agencies | - | % |
| 5. Debentures and bonds | - | - |
| 6. Others (Specify) | - | 8= |
| TOTAL | - | x= |
| Note: Amounts due within one year | | |

SCHEDULE – V UNSECURED LOANS AND BORROWINGS

(Amount in Rs.)

| | Current Year | Previous Year |
|------------------------------------|--------------|---------------|
| Central Government | - | |
| 2. Financial Institutions | - | |
| 3. Banks | | |
| (a) Term Loans | _ | |
| (b) Other Loans (specify) | - | |
| 4. Other Institutions and Agencies | - | |
| 5. Debentures and bonds | - | |
| 6. Fixed Deposits | - | |
| 7. Others (Specify) | | |
| TOTAL | | |
| Note: Amounts due within one year | | |

For INSOLVENCY AND BANKRUPTCY BOARD OF INDIA

Sd/-

Dr. Navrang Saini WTM (F&A) Sd/-

Mr. Gyaneshwar Kumar Singh Chairperson, Audit Committee Sd/-Dr. M. S. Sahoo Chairperson

SCHEDULE - VI DEFERRED CREDIT LIABILITIES

(Amount in Rs.)

| | | (************************************** |
|--|--------------|---|
| | Current Year | Previous Year |
| Acceptances secured by hypothecation of capital equipment and other assets | - | |
| 2. Others | | |
| - IP- Other Fees (Refer Note no. 8 of Schedule XXIII) | 37,500 | |
| TOTAL | 37,500 | 7- |
| Note: Amounts due within one year | 37,500 | |

SCHEDULE - VII CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS

(Amount in Rs.)

| | Current Y | 'ear | Previo | us Year |
|---|-----------|-------------|--------------|----------|
| A. CURRENT LIABILITIES | Current | ear | Trevious rem | |
| 1. Acceptances | | | | |
| 2. Sundry creditors:- | | | | |
| | | | | |
| (a). For Goods | | - | | |
| (b). Others (Refer Note no. 10 of Schedule XXIII) | | | 1 | 50.50 |
| 3. Advances Received | | 49,20,739 | | 58,70 |
| 4. Interest accrued but not due on: | | • | | |
| A CONTROL BOAR STANDARD AND A STANDARD CONTROL OF THE | | | | |
| (a) Secured Loans/borrowings | | - | | |
| (b) Unsecured Loans/borrowings | | - | | |
| 5. Statutory Liabilities: | | | | |
| (a) Overdue | | | | |
| (b) Others | | - | | |
| CPF Contribution (Funds held with PNB - Refer Note no. 11.1 of Schedule XXIII) | 83,34,345 | | 7,20,031 | |
| TDS Payable | | | | |
| (Refer Note no. 11.2 of Schedule XXIII) | 19,77,189 | 1,03,11,534 | 2,17,026 | 9,37,05 |
| 6. Other Current Liabilities | | | | |
| Security Deposit (Refer Note no. 12 of Schedule XXIII) | | 10,00,000 | | |
| TOTAL (A) | | 1,62,32,273 | | 9,95,76 |
| B. PROVISIONS | | | | |
| 1. For Taxation | | - | | |
| 2. Gratuity | | - | | |
| Superannuation/Pension | | | | |
| Provision for officers on Deputation (Refer Note no. 13.2 of Schedule XXIII) | | | | |
| - towards Pension | 2,12,950 | | | |
| - towards Leave Salary Contribution | 2,55,068 | 4,68,018 | | |
| Accumulated Leave Encashment | | - | | |
| 5. Trade Warranties/Claims | _ | | | |
| 6. Others: | | | | |
| - Electricity | 1,38,518 | | | |
| - Rent | 1,50,510 | | | |
| (Refer Note no. 14 of Schedule XXIII) | 98,18,000 | | | |
| - Salaries | | | | |
| (Refer Note no. 15 of Schedule XXIII) | 88,69,429 | | | |
| - Outsourced Staff on Contract | 9,11,040 | | | |
| - Professional Charges | | | | |
| (Refer Note no.16 of Schedule XXIII) | 22,06,251 | | | |
| - Telephone | 16,520 | | | - Tonais |
| - Tour & Travelling | 83,855 | | | |
| - Auditors's Fee | | | | |
| (Refer Note no. 17 of Schedule XXIII) | 71,500 | 2,21,15,113 | | |
| TOTAL (B) | | 2,25,83,131 | | |
| TOTAL (A +B) | | 3,88,15,404 | | 9,95,76 |

For INSOLVENCY AND BANKRUPTCY BOARD OF INDIA

Sd/-Dr. Navrang Saini WTM (F&A)

Sd/-Mr. Gyaneshwar Kumar Singh Chairperson, Audit Committee Sd/-Dr. M. S. Sahoo Chairperson

SCHEDULE FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH, 2018 INSOLVENCY AND BANKRUPTCY BOARD OF INDIA

SCHEDULE - VIII FIXED ASSETS

| | | GROSS | GROSS BLOCK | | | DEPRE | DEPRECIATION | | NET BLOCK | LOCK |
|--|----------------------------------|---------------------------|--|----------------------|------------------------------------|-----------------|--|----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Description | Cost as at beginning of the year | Additions during the year | Deductions / Adjustments during the year | Cost at the year end | As at the beginning of the year | During the year | Deductions / adjustments during the year | Total upto the year end | As at the current year end | As at the previous year end |
| A. Fixed Assets | | | | | | | | | | |
| I. Land | | | | | | | | | | |
| (a) Frechold | , | | | | | | | | | |
| (b) Leasehold | | | | | | | | | | • |
| 2. Buildings | | | | | | | | | | |
| (a) On Freehold Land | • | | • | | | | • | | | |
| (b) On Leaschold Land | | ٠ | | | | | , | , | , | 1 |
| (c) Ownership Flat/ Premises | | * | | | | | | | | |
| (d) Superstructures on Land not belonging to the entity | | | 1 | | | | | | , | |
| 3. Plant Machinery & Equipment | | Ü | | | | | | | | |
| 4. Vehicles | | | | • | | | | | | 1 |
| 5. Furniture & Fixture | | 4,70,691 | | 4,70,691 | • | 32.918 | | 32.918 | 4 37 773 | |
| 6. Office Equipment | E33 CO 71 | 100 03 01 | | | | | | | | |
| (Refer Note no. 18.1 of Schedule AAIII) Computers/ Peripherals | 10,03,337 | 18,52,921 | -14,/0,362 | 19,79,922 | 8,98,637 | 1,23,099 | -8,85,938 | 1,35,798 | 18,44,123 | 7,04,920 |
| (Refer Note no. 18.2 of Schedule XXIII) | 2,41,363 | 66,26,566 | -12,863 | 68,55,066 | 73,838 | 25,12,011 | -7.718 | 25.78.131 | 42.76.935 | 1.67.525 |
| 8. Electrical Installations | • | • | | | | | | | | |
| 9. Library Books | | | • | | | | | | | |
| 10. Tube wells & Water Supply | î | 1 | | | 1 | | | | | , |
| 11. Other Fixed Assets | | | | | | | • | 1 | • | |
| Total of Current year | 18,44,920 | 89,50,184 | -14,89,425 | 93,05,679 | 9,72,475 | 26,68,028 | -8,93,656 | 27,46,847 | 65,58,831 | 8,72,445 |
| Fotal of previous year | • | 18,44,920 | 1 | 18,44,920 | 1 | 9,72,475 | | 9,72,475 | 8,72,445 | |
| B. Capital work-in-progress (Refer Note no. 2 of Schedule XXIII) | • | 46,32,374 | • | 46,32,374 | | • | 1 | , | 46.32.374 | |
| TOTAL | 18,44,920 | 1,35,82,558 | -14,89,425 | 1,39,38,053 | 9,72,475 | 26,68,028 | -8.93.656 | 27.46.847 | 1.11.91.205 | 8.72.445 |

For INSOLVENCY AND BANKRUPTCY BOARD OF INDIA

-/ps

Dr. Navrang Saini WTM (F&A)

Chairperson, Audit Committee Mr. Gyaneshwar Kumar Singh

Sd/-

Dr. M. S. Sahoo Chairperson

-/ps

$\label{eq:schedule-ix} SCHEDULE-IX\\ INVESTMENTS FROM EARMARKED/ENDOWMENT FUNDS$

(Amount in Rs.)

| | Current Year | Previous Year |
|------------------------------------|--------------|---------------|
| 1. In Government Securities | - | - |
| 2. Other approved Securities | | - |
| 3. Shares | - | - |
| 4. Debentures and Bonds | - | - |
| 5. Subsidiaries and Joint Ventures | | |
| 6. Others | - | - |
| TOTAL | - | - |

SCHEDULE – X INVESTMENTS – OTHERS

(Amount in Rs.)

| | Current Year | Previous Year |
|------------------------------------|--------------|---------------|
| In Government Securities | - | |
| 2. Other approved Securities | - | - |
| 3. Shares | | |
| Debentures and Bonds | - | |
| 5. Subsidiaries and Joint Ventures | - | |
| 6. Others | | |
| Funds held with PNB towards CPF | 83,34,345 | - |
| TOTAL | 83,34,345 | - |

For INSOLVENCY AND BANKRUPTCY BOARD OF INDIA

Sd/-

Sd/-

Sd/-

Dr. Navrang Saini WTM (F&A) Mr. Gyaneshwar Kumar Singh Chairperson, Audit Committee Dr. M. S. Sahoo Chairperson

SCHEDULE - XI CURRENT ASSETS, LOANS, ADVANCES ETC.

| | Y | | | | mount in Rs. |
|----|---|-----------|-------------|--------|--------------|
| | | Curren | t Year | Previo | us Year |
| | CURRENT ASSETS, LOANS, ADVANCES ETC. | | | | |
| | | | | | |
| A | Current Assets: | | | | |
| | 1. Debts: | | | | |
| | (a) Debts Outstanding for a period exceeding six | | | | |
| | months | | 5,54,600 | | |
| | (Refer Note no. 20.1 of Schedule XXIII) | | WW. Co. 201 | | |
| | (b) Others (Refer Note no. 20.2 of Schedule XXIII) | | 42,38,500 | | |
| | 2. Cash balances in hand (including cheques/ drafts and | | | | |
| | imprest) | | 49,620 | | 35,10 |
| | (Refer Note no. 21 of Schedule XXIII) | | | | |
| | 3. Bank Balances: | | | | |
| | (a) With Scheduled Banks: | | | | |
| | Balance at Punjab National Bank | | | | |
| | (Refer Note no. 22 of Schedule XXIII) | | 3,67,24,452 | | 6,53,58,41 |
| | (b) With Non-Scheduled Banks: | | | | |
| 77 | - In current accounts | | .= | | |
| | - In deposit accounts | | | | |
| | - In savings accounts | | (- | | |
| | 4. Post Office - Savings Accounts | | 7= | | |
| | TOTAL (A) | | 4,15,67,172 | | 6,53,93,513 |
| В | LOANS, ADVANCES AND OTHER ASSETS | | .,,,,,,,,,, | | |
| | 1. Loans to: | | | | |
| | (a) Staff | | | | |
| | (b) Other Entities engaged in activities/ objectives | | | | |
| | similar to that of the entity | | _ | | |
| | (c) Other (specify) | | | | |
| | Advances and other amount recoverable in cash or in | | | | |
| | kind or for value to be received: | | | | |
| | | | | | |
| | (a) On capital account | | | - | |
| | (b) Prepayments (Refer Note no. 23 of Schedule XXIII) | 22,05,228 | | - | |
| | (c) Others | 22,03,228 | | | |
| | GST Receivables | 2,35,605 | | - | |
| | TDS Receivables | | | - | |
| | | 6,05,229 | | | |
| | Security Deposit | 1,72,000 | | 10,000 | |
| | Sundry Receivables | 56,240 | | - | |
| | Staff | 50,931 | 33,25,233 | 6,600 | 16,600 |
| | 3. Income Accrued | | | | |
| | (a) On investments from Earmarked/ Endowment fund | ľ | _ | | |
| | (b) On investment - others | | - | | |
| | (c) On loans and advances | | 12 | | |
| | d) Others | | :- | | |
| | 4. Claims Receivable | | _ | | |
| | TOTAL (B) | | 33,25,233 | | 16,600 |
| | TOTAL (A+ B) | | 4,48,92,405 | | 6,54,10,113 |

For INSOLVENCY AND BANKRUPTCY BOARD OF INDIA

Dr. Navrang Saini WTM (F&A)

Sd/-Mr. Gyaneshwar Kumar Singh Chairperson, Audit Committee

Sd/-Dr. M. S. Sahoo Chairperson

INSOLVENCY AND BANKRUPTCY BOARD OF INDIA SCHEDULE FORMING PART OF INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2018

SCHEDULE - XII GRANTS/SUBSIDIES

(Irrevocable Grants & Subsidies Received)

(Amount in Rs.)

| | Current Year | Previous Year |
|---------------------------------|--------------|---------------|
| Central Government | 10,15,51,546 | 2,34,75,834 |
| 2. Government Agencies | - | |
| 3. Institutions/ Welfare Bodies | _ | |
| 4. International Organisations | _ | |
| 5. Others (Specify) | _ | |
| TOTAL | 10,15,51,546 | 2,34,75,834 |

SCHEDULE – XIII FEES / SUBSCRIPTIONS

(Amount in Rs.)

| | Current Year | Previous Year |
|--|--------------|---------------|
| 1. Entrance Fees | _ | |
| 2. Filing Fees - Application Fees | | |
| - Insolvency Professional | 1,68,50,450 | 59,10,000 |
| - Insolvency Professional Agency | 15,00,000 | 30,00,000 |
| - Information Utilities | 65,00,000 | |
| - Registered Valuer Organisations | 8,00,000 | .= |
| - Examination Fees | 42,38,500 | |
| 3. Seminar/ Program Fees | 5,14,492 | 63,000 |
| Consultancy Fees | _ | |
| 5. Others - Application Fees from Recruitment (Refer Note no. 16 of Schedule XXIII) | 21,67,000 | |
| TOTAL | 3,25,70,442 | 89,73,000 |

For INSOLVENCY AND BANKRUPTCY BOARD OF INDIA

Sd/-Dr Navrang S

Dr. Navrang Saini WTM (F&A) Sd/-Mr. Gyaneshwar Kumar Singh Chairperson, Audit Committee

Sd/-

Dr. M. S. Sahoo Chairperson

INSOLVENCY AND BANKRUPTCY BOARD OF INDIA SCHEDULE FORMING PART OF INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2018

SCHEDULE - XIV INCOME FROM INVESTMENTS

(Income on Investments From Earmarked/ Endowment Funds transferred to Funds)

(Amount in Rs.)

| | Investment from l | Investment from Earmarked Fund | | Investment - others | |
|------------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------|---------------------|--|
| | Current Year | Previous Year | Current Year | Previous Year | |
| 1. Interest | | | | | |
| a) On Government Securities | - | - | - | | |
| b) Other Bonds/ Debentures | - | | 14 | | |
| 2. Dividends | | | | | |
| a) On Shares | - | - | 1- | - | |
| b) On Mutual Fund Securities | - | | | - | |
| 3. Rents | - | - | - | 2⊒ | |
| 4. Others (Specify) | - | - | - | - | |
| TOTAL | - | | _ | - | |

SCHEDULE XV INCOME FROM ROYALTY, PUBLICATION ETC.

(Amount in Rs.)

| | Current Year | Previous Year |
|-----------------------------|--------------|---------------|
| Income from Royalty | - | - |
| 2. Income from Publications | - | - |
| 3. Others (Specify) | - | |
| TOTAL | - | - |

SCHEDULE XVI INTEREST EARNED

(Amount in Rs.)

| | Current Year | Previous Year |
|---|--------------|---------------|
| 1. On Term Deposits | | |
| (a) With Scheduled Banks (Refer Note no. 24 of Schedule XXIII) | 4,48,413 | - |
| (b) With Non - Scheduled Banks | - | - |
| (c) With Institutions | = | - |
| (d) Others | | - |
| 2. On Savings Accounts | | |
| (a) With Scheduled Banks | - | - |
| (b) With Non - Scheduled Banks | | - |
| (c) Post Office Savings Accounts | - | - |
| (d) Others | - | - |
| 3. On Loans | | |
| (a) Employees/Staff | - | - |
| (b) Others | - | - |
| 4. Interest on Debtors and Other Receivables | - | - |
| TOTAL | 4,48,413 | - |

For INSOLVENCY AND BANKRUPTCY BOARD OF INDIA

Sd/-Dr. Navrang Saini WTM (F&A)

Sd/-

Mr. Gyaneshwar Kumar Singh Chairperson, Audit Committee

Sd/-Dr. M. S. Sahoo Chairperson

INSOLVENCY AND BANKRUPTCY BOARD OF INDIA SCHEDULE FORMING PART OF INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31 $^{\rm ST}$ MARCH, 2018

SCHEDULE – XVII OTHER INCOME

(Amount in Rs.)

| | Current Year | Previous Year |
|---|--------------|---------------|
| Profit on Sale/disposal of Assets | | |
| (a) Owned Assets | | |
| (b) Assets acquired out of grants, or received free of cost | - | |
| 2. Fees for Miscellaneous Services | 6,410 | * |
| 3. Miscellaneous Income | 15,690 | - |
| TOTAL | 22,100 | |

SCHEDULE XVIII ESTABLISHMENT EXPENSES

(Amount in Rs.)

| | | (Amount in Rs.) |
|---|--------------|-----------------|
| | Current Year | Previous Year |
| (a) Salaries and Wages (Refer Note no. 25 of Schedule XXIII) | 5,67,87,398 | 66,98,830 |
| (b) Allowances and Bonus | 14,10,315 | |
| (c) Contribution to Provident Fund | 11,62,283 | |
| (d) Contribution to Other Fund (specify) | - | |
| (c) Staff Welfare Expenses | - | |
| (f) Expenses on Employees' Retirement and Terminal Benefits | - | - |
| (g) Others (Specify) | - | |
| TOTAL | 5,93,59,996 | 66,98,830 |

SCHEDULE XIX OTHER ADNIMISTRATIVE EXPENSES

(Amount in Rs.)

| | Current Year | Previous Year |
|--|--------------|---------------|
| Grants-in-aid from MCA directly paid for expenditure | - | 1,21,71,296 |
| (a) Purchases | - | |
| (b) Labour and processing expenses | - | • |
| (c) Cartage and Carriage Inwards | | |
| (d) Electricity and power | 18,65,411 | |
| (e) Water charges | - | - |
| (f) Insurance | - | |
| (g) Repairs and Maintenance | 4,56,791 | 84,065 |
| (h) Rent, Rates and Taxes | 3,24,66,167 | |
| (i) Vehicles Running, Maintenance or Hiring charges | 10,43,632 | 2,56,659 |
| (j) Postage, Telephone and Communication charges | 8,24,166 | 3,76,682 |
| (k) Printing and Stationery | 20,69,396 | 16,33,644 |
| (I) Travelling and Conveyance Expenses (Refer Note no. 6.2 of Schedule XXIII) | 99,26,083 | 5,36,824 |
| (m) Expenses on Seminar/ Workshops | 7.20.847 | 2,000 |
| (n) Subscription Expenses | 10,14,192 | |
| (o) Expenses of fee | 10,74,536 | 1,57,297 |
| (p) Auditors Remuneration/ Legal fee | 71,500 | |
| (q) Hospitality Expenses | 14,13,314 | 1,07,497 |
| (r) Professional Charges | 50,35,281 | 50,000 |
| (s) Provision for Bad and Doubtful Debts/ Advances | | |
| (t) Irrecoverable Balances written - off | | |
| (u) Packing Charges | - | - |
| (v) Freight and Forwarding Expenses | - | - |
| (w) Distribution Expenses | | |
| (x) Advertisement and Publicity | | |
| (y) Others | | |
| - Payment to Outsourced Staff on contract | 1,32,23,609 | 11,58,179 |
| - Advisory Committee & Board Meeting Expenses | 3,90,287 | 1,78,993 |
| - Books & Periodicals | 1,18,883 | 34,864 |
| - Publication Expenses | 16,39,000 | |
| - Miscellaneous Expenses | 98,681 | 29,004 |
| TOTAL | 7,34,51,776 | 1,67,77,004 |

For INSOLVENCY AND BANKRUPTCY BOARD OF INDIA

Sd/-Dr. Navrang Saini WTM (F&A) Sd/-Mr. Gyaneshwar Kumar Singh Chairperson, Audit Committee Sd/-Dr. M. S. Sahoo Chairperson

INSOLVENCY AND BANKRUPTCY BOARD OF INDIA SCHEDULE FORMING PART OF INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2018

SCHEDULE XX EXPENDITURE ON GRANTS, SUBSIDIES ETC.

(Amount in Rs.)

| | (ramount in Ass) | |
|--|------------------|---------------|
| | Current Year | Previous Year |
| (a) Grants given to Institutions/ Organisations | _ | - |
| (b) Subsidies given to Institutions/ Organisations | - | - |
| TOTAL | - | :=: |

SCHEDULE XXI INTEREST

(Amount in Rs.)

| | Current Year | Previous Year |
|---|--------------|---------------|
| (a) On Fixed Loans | - | - |
| (b) On Other Loans (including Bank Charges) | | - |
| (c) Others (specify) | - | |
| TOTAL | - | - |

For INSOLVENCY AND BANKRUPTCY BOARD OF INDIA

Sd/-Dr. Navrang Saini WTM (F&A)

Sd/-Mr. Gyaneshwar Kumar Singh Chairperson, Audit Committee Sd/-Dr. M. S. Sahoo Chairperson

SCHEDULE-XXII

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

IBBI ("the Board") prepares its financial statements in the format prescribed by the Government of India in consultation with the Comptroller and Auditor General of India and the accounts are audited by the C&AG.

1. ACCOUNTING CONVENTION

1.1 The financial statements are prepared under the historical cost convention on accrual basis, in accordance with the applicable accounting standards issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and generally accepted accounting principles (Indian GAAP), unless otherwise stated.

2. INVESTMENTS

- 2.1 Investments classified as "long term investments" are carried at cost. Provision for decline, other than temporary, is made in carrying cost of such investments.
- 2.2 Investments classified as "Current" are carried at lower of cost and fair value. Provision for shortfall on the value of such investments is made for each investment considered individually and not on a global basis.
- 2.3 Cost includes acquisition expenses like brokerage, transfer stamps.

3. FIXED ASSETS

3.1 Fixed Assets are stated at their original cost less accumulated depreciation and provision for impairment, if any. The cost includes expenditure incurred in the acquisition and construction/ installation and other related direct and incidental expenses in bringing the assets to working condition for its intended use.

4. DEPRECIATION

4.1 Depreciation is provided on straight-line method as per rates specified in the Income-tax Act, 1961 except depreciation on cost adjustments arising on account of conversion of foreign currency liabilities for acquisition of fixed assets, which is amortized over the residual life of the respective assets.

- 4.2 In respect of additions to/deductions from fixed assets during the year, depreciation is considered on pro-rata basis.
- 4.3 Assets consisting Rs. 5,000/- or less acquisition value each are fully provided for in the year of their acquisition.

5. MISCELLANEOUS EXPENDITURE

5.1 Deferred revenue expenditure is written off over a period of 5 years from the year in which it is incurred.

6. ACCOUNTING FOR SALES

6.1 Sales include excise duty and are net of sales returns, rebate and trade discount.

7. GOVERNMENT GRANTS/SUBSIDIES

- 7.1 Government grants of the nature of contribution towards capital cost of setting up projects are treated as Capital Reserve.
- 7.2 Grants in respect of specific fixed assets acquired are shown as a deduction from the cost of the related assets.
- 7.3 Government grants are accounted on realisation basis and utilisation is accounted on accrual basis.

8. FOREIGN CURRENCY TRANSACTIONS

- 8.1 Transactions denominated in foreign currency are accounted at the exchange rate prevailing at the date of the transaction.
- 8.2 Current assets, foreign currency loans and current liabilities are converted at the exchange rate prevailing as at the year end and the resultant gain/loss is adjusted to cost of fixed assets, if the foreign currency liability is related to fixed assets, and in other cases is considered to revenue.

9. LEASE

9.1 Lease rentals are expensed with reference to lease terms.

10. RETIREMENT BENEFITS

10.1 Liability towards gratuity payable on death/retirement of employees is accrued based on actuarial valuation.

10.2 Provision for accumulated leave encashment benefit to the employees is accrued and computed on the assumption that employees are entitled to receive the benefit as at each year end.

For INSOLVENCY AND BANKRUPTCY BOARD OF INDIA

Sd/-

Sd/-

Sd/-

Dr. Navrang Saini Mr. Gyaneshwar Kumar Singh

WTM (F&A) Chairperson, Audit Committee

Dr. M. S. Sahoo Chairperson

SCHEDULE-XXIII CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES ON ACCOUNTS

1. CONTINGENT LIABILITIES

1.1 Claims against the Entity not acknowledged as debts - Rs. Nil.

(Previous year-Rs. Nil).

- 1.2 In respect of:
- Bank guarantees given by/on behalf of the Entity Rs. Nil.

(Previous year-Rs. Nil).

- Letters of Credit opened by Bank on behalf of the Entity -Rs. Nil.

(Previous year-Rs. Nil).

- Bills discounted with banks Rs. Nil.

(Previous year-Rs. Nil).

1.3 Disputed demands in respect of:

Income-tax Rs. Nil (Previous year-Rs. Nil).

G.S.T. Rs. Nil (Previous year-Rs. Nil).

Municipal Taxes Rs. Nil (Previous year-Rs. Nil).

1.4 In respect of claims from parties for non-execution of orders but contested by the Entity - Rs. Nil (Previous year-Rs. Nil).

2. CAPITAL COMMITMENTS

Capital work in progress comprises outstanding amount of Rs.46,32,374/- payable to NBCC towards furniture & fixtures/renovation of Mayur Bhawan premises as at the end of March, 2018. The amount has been provided for against Grants-in-aid Capital received for Capital Expenditure. (Previous year-Rs. Nil).



3. LEASE OBLIGATIONS

Future obligations for rentals under finance lease arrangements for plant and machinery amount to Rs. Nil. (Previous year-Rs. Nil).

4. CURRENT ASSETS, LOANS AND ADVANCES

In the opinion of the Management, the current assets, loans and advances have a value on realisation in the ordinary course of business, equal at least to the aggregate amount shown in the Balance Sheet.

5. TAXATION

In view of the para 5 of Schedule XXIII of the notified accounting policy of the Board notified by MCA vide notification no. 423(E) dated 1st May, 2018 which reads as "there being no taxable income under Income-tax Act, 1961, no provision for Income tax has been considered necessary". As a matter of abundant caution, the Board vide letter no. IBBI/F&A/IT & TDS exemption/72/2017-18 dated 15th November 2017 has filed an application for income tax exemption under clause 46 of section 10 of the Income Tax Act, 1961. (Previous year-Rs. Nil).

6. FOREIGN CURRENCY TRANSACTIONS

- 6.1 Value of Imports calculated on C.I.F Basis: Not Applicable
 - Purchase of finished goods
 - Raw Materials & Components (Including in transit)
 - Capital Goods
 - Stores, Spares and Consumables
- 6.2 Expenditure in foreign currency:
- (i) Travel (Current year Rs.41,26,245/-) (Previous year -Rs. Nil).

The Board had organised study tours to Singapore, Australia, Malaysia and UK. in the financial year 2017-18. The travel and other arrangements for the Chairperson, Whole-Time Members, and NCLT members was made by the respective Indian High Commission. The Ministry of External Affairs generally raises the bills from the concerned Ministry and organisation for such expenditure incurred. The bills of UK visit have not been received by the Board and has therefore, not been provided for. On receipt of the bills from MEA, the same shall be duly accounted for and paid.

(ii) Remittances and Interest payment to Financial Institutions/ Banks in Foreign Currency (Current year – Rs. Nil) (Previous year – Rs. Nil).



- (iii) Other Expenditure (Current year- Membership fee paid to International Association of Insolvency Regulators Rs. 48,392/-) (Previous year -Rs. Nil).
- (iv) Commission on Sales (Current year Rs. Nil) (Previous year Rs. Nil).
- (v) Legal and Professional Expenses (Current year Rs. Nil) (Previous year Rs. Nil).
- (vi) Miscellaneous Expenses (Current year Rs. Nil) (Previous year Rs. Nil).
- 6.3 Earnings in foreign currency: (Current year Rs. Nil) (Previous year Rs. Nil).
- 6.4 Remuneration to auditors

As auditors:

- Taxation matters
- For management services
- For certification
- Others (Current year Rs.71,500/-) (Previous year Rs. Nil).

7. GOVERNMENT GRANTS

Accounting for Government Grants has been carried out as per the Accounting Standard-12 (now IAS 20), as issued by Accounting Standards Board (ASB) of ICAI. The Grants are recognised as income over the period necessary to match them with the related costs, for which they are intended to compensate, on a systematic basis.

The Fund of the Board has been constituted as per the provisions of section 222 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016, which reads as under:

- "(1) There shall be constituted a Fund to be called the Fund of the Insolvency and Bankruptcy Board and there shall be credited thereto—
- (a) all grants, fees and charges received by the Board under this Code;
- (b) all sums received by the Board from such other sources as may be decided upon by the Central Government;
- (c) such other funds as may be specified by the Board or prescribed by the Central Government.
- (2) The Fund shall be applied for meeting—
- (a) the salaries, allowances and other remuneration of the members, officers and other employees of the Board;
- (b) the expenses of the Board in the discharge of its functions under section 196;
- (c) the expenses on objects and for purposes authorised by this Code;

(d) such other purposes as may be prescribed"

The components of the Fund as on 31.03.2018 are as follows:

| Particulars | (Amount Rs.) |
|---------------------------------------|--------------|
| Fixed Assets at the Year End (Net) | 1,11,91,205 |
| Unutilized Grant in Aid Capital | 1,23,53,686 |
| Advance Paid for E-office to NICS | 20,20,160 |
| Total of Closing Fund at the Year End | 2,55,65,051 |

7.1. The Ministry of Corporate Affairs vide its letter no.30/13/2016-Insolvency Section dated 27th July 2017 issued order to the Principal Account Officer to transfer Rs.16,99,500/- to Controller of Publication, Government of India, New Delhi towards publication of Regulations notified by IBBI against Grants-in-Aid General. The MCA vide letter no. 30/13/2016-Insolvency Section dated 27th July 2017 informed that the said amount had not been drawn by the Controller of Publication in 2016-17 and remained unspent in relevant budget head of MCA. However, the MCA vide letter no. 30/13/2016-Insolvency Section dated 23rd February 2018 has informed IBBI that the said amount has been paid in the financial year 2017-18. The Board had accounted for the same in the financial year 2016-17 and no further affect has been provided in the current financial year.

7.2. The shortage of funds under Grants-in-Aid General and Salary have been met out of internal revenue generated by the Board and through utilisation from Grants-in-Aid Capital. The Board vide letter dated 13th June, 2018 has written to the MCA seeking regularisation of the shortfall from Grants-in-aid Capital for meeting the expenditure on salary and general.

8.DEFERRED CREDIT LIABILITIES

Insolvency and Bankruptcy Board of India (Grievance and Complaint Handling Procedure) Regulations, 2017 provides for filing of grievances and complaints against service providers wherein regulation no. 7(8) states that where the Board is of the opinion that the complaint is not frivolous, it shall refund the fee of two thousand five hundred rupees received under sub-regulation (3) of regulation 3. A sum of Rs.37,500/- received against complaints which are under the process has been kept as liability under Schedule-VI "Deferred credit Liabilities". (Previous year– Rs. Nil)

9. LONG TERM INVESTMENTS

The Board made no Long-Term Investments during the current financial year.

10. Sundry creditors includes Rs.46,32,374/- for capital work-in-progress payable to NBCC and balance amounting to Rs.2,88,365/- comprises of vendors which are regular in nature. (Previous year - Rs.58,703/- against sundry creditors has been duly paid off in the current financial year).

11. STATUTORY LIABILTIES

- 11.1 The subscription towards CPF amounting to Rs.83,34,345/- inclusive of interest thereon has been kept as fixed Deposit and monthly contribution has been transferred to Recurring Deposit with Punjab National Bank. (Previous year CPF contribution along with interest balances thereon was Rs.7,20,031/-).
- 11.2 The current year Tax Deducted at Source (TDS) dues of Rs.19,77,189/- have been duly deposited with the Income Tax authorities within the due period in the month of April in the next financial year 2018-19. (Previous Year TDS dues of Rs.2,17,026/- had been paid in the month of April, 2017).
- 12. An amount of Rs.10,00,000/- has been received as Security Deposit (Refundable-EDM) from Bombay Stock Exchange for administration of online Valuation Examination. (Previous Year Rs. Nil).

13. PROVISION FOR RETIREMENT BENEFITS

- 13.1 In pursuance of Rule 4(3) of IBBI (Salary, Allowances and other Terms and Conditions of Service of Chairperson and Members) Rules, 2016 which states that "In the case of an appointment of a person as the Chairperson or a whole-time member shall have an option to receive pay as admissible to a Secretary or Additional Secretary to the Government of India respectively, who has retired from service under the Central Government or the State Government and who is in receipt of, or has received, or has become entitled to receive any retirement benefits by way of pension, gratuity, employer's contribution to the Contributory Provident Fund or other Funds or retirement benefits, the pay and allowances of such Chairperson or member, as the case may be, shall be reduced by gross amount of pension and pension equivalent of gratuity or employer's contribution to the Contributory Provident Fund or any other form of retirement benefits, if any, drawn or to be drawn by him", no provision has been made for gratuity and leave encashment for Chairperson and Whole Time Members (WTMs). (Previous Year Nil)
- 13.2 For officers on deputation from Central/State Government, the provision for retirement benefits for leave salary contribution amounting to Rs.2,55,068/- and pension Rs.2,12,950/- have been made as per the rules of Department of Personnel and Training (DOPT) or as per the order received from the parent organisations. The Board has no liability for provisions for gratuity for the officers who are on deputation from Government of India. (Previous Year Nil).



- 13.3 In case of other officers on deputation, provisions has been made in line with the orders/directions/terms & conditions conveyed by the respective parent organisation.
- 13.4 No provision has been made for retirement benefits in relation to the officers on secondment to the Board.
- 13.5 The Board presently does not have its own cadre; therefore no provision has been made with respect to gratuity and accumulated leave encashment benefits during the current financial year.
- 14. Provision of Rs.98,18,000/- has been made against rent payable for Jeevan Vihar premises for the period from 15th November, 2017 to 31st March, 2018 in compliance with the directions of the MCA vide its letter no. I-1102/01/2016-Infra dated 11th April 2018 (Previous Year– NIL)
- 15. Provision has been made for outstanding salaries of Rs.88,69,429/- payable to parent organisation with respect to officers on deputation and secondment where bills have not been raised by the parent organization.
- 16.Application fees of Rs.21,67,000/- (net of GST) for recruitment of Grade 'A' Officers has been booked as an income under Schedule XIII "Fees/Subscription" and the corresponding expenditure of Rs.21,99,251/- (net of GST) payable to "Institute of Banking Personnel Selection" has also been provided for.
- 17. Audit Fees of Rs.71,500/- payable to All India Council of Auditors and Accountants for the internal audit of the Board has been provided for in the current financial year. The fee has since been paid. (Previous Year Nil)

18. FIXED ASSETS

- 18.1 As per IBBI accounting policy No.7.2 and in line with AS-12 notified by Ministry of Corporate Affairs (MCA), grants in respect of specific fixed assets acquired are shown as deductions from the cost of the related assets. The non-monetary grant for Fixed Assets to the tune of Rs.14,76,563/- was released by MCA to the IBBI in the FY 2016-17. In pursuance of the IBBI policy 7.2 and AS-12, grants received in respect of specific Fixed Asset has been deducted from the cost of the related assets and the Fixed Asset has been shown at a nominal value of Re.1/- during the current financial year. Accordingly, the depreciation reserve of Rs.8,85,937/- provided @ 60% against the fixed asset in the previous financial year has been reversed in the current financial year.
- 18.2 An amount of Rs.12,863/- erroneously shown under fixed assets in the previous year 2016-17 has been rectified and booked as an expense in the current financial year. Accordingly, the

depreciation reserve of Rs.7,718/- provided @ 60% to fixed asset in the previous financial year has been reversed in the current financial year.

19.DEPRECIATION

19.1 Depreciation is provided on straight line method as per rates specified in the Income-tax Act, 1961 as under:

| Assets | Rate of Depreciation |
|--|----------------------|
| Computer/ Peripherals / software/ hardware | 40% |
| Office Equipment & Furniture & fixtures | 10% |

19.2 Depreciation reserve of Rs.9,72,475/- of previous year has been deducted from the surplus of previous year and corresponding deduction has been made from the fixed assets of the previous year to uniformly follow the depreciation accounting policy.

19.3 Library books are recognised as revenue expenditure and charged to Income and Expenditure Account.

20.1. Sundry Debtors of Rs.5,54,600/- is unsecured and considered good. It includes an amount of Rs.4,64,600/- against registration fees of insolvency professionals which has duly been received in the month of April, 2018.

20.2 Under Section 196 of IBC 2016, the Board shall either on its own or through a designated agency, conduct the Limited Insolvency Examination in such manner and at such frequency, as may be specified. The Board has authorised the National Institute of Securities Markets (NISM), Mumbai to conduct the examination w.e.f. 31.12.2016. Further, the Board decided to enhance the examination fee from Rs.1,000/- to Rs.1,500/- per enrolment of applicant on 30.08.2017 and NISM would reimburse Rs.500/- per enrolment to IBBI w.e.f. 01.09.2017. The total number of applicants from 1-9-2017 to 31-3-2018 is 8477. The Board has accrued an income of Rs.42,38,500/- (8477@Rs.500/-) in the current financial year. (Previous Year – Nil).

21. The Board maintains an imprest system of petty cash with an approved limit of Rs. 50,000/-

22.Balances kept in Bank Accounts

The balance at Punjab National Bank represents the following amounts:

In Current Account - Rs.3,11,742/-(Cr.) (Previous Year - Rs.6,53,58,414).

In Sweep Account - Rs.2,83,36,194/- (Net) (Previous Year – Rs. Nil).

(Allocated for CPF pending transfer Rs.21,13,806/-).

In Term Deposit Account - Rs.87,00,000/- (Previous Year - Rs. Nil).

- 23. Prepaid Expenses includes an advance of Rs.20,20,160/- paid to National Informatics Centre Services in the current year for E-office.
- 24. The Board is maintaining a current account with sweep facility at Punjab National Bank and the interest earned thereon is Rs.4,48,413/-.
- 25. Salaries under the schedule "Establishment Expenses" includes the provision made for Leave Salary Contribution, Pension Fund, Employer Provident Fund and the expenditure towards Leave Encashment for the officers on deputation.
- 26. The preparation of financial statements in conformity with Indian GAAP requires the Board to make estimates and assumptions that affect the reported amount of assets, liabilities, income and expenditure in the financial statements. Though it is believed that the estimates used in the preparation of the financial statements are prudent and reasonable, actual results may differ from the estimates. Difference between actual results and the estimates are to be recognised as income/expense in the relevant account heads, in the period in which the results are to be known/ materialised.
- 27. Corresponding figures for the previous year have been regrouped/rearranged, wherever necessary.
- 28. Schedules I to XXIII are annexed to and form an integral part of the Balance Sheet as at 31st March, 2018 and the Income and Expenditure Account for the year ended on that date.

For INSOLVENCY AND BANKRUPTCY BOARD OF INDIA

Sd/-

Sd/-

Sd/-

Dr. Navrang Saini Mr. Gyaneshwar Kumar Singh

Dr. M. S. Sahoo

WTM (F&A)

Chairperson, Audit Committee

Chairperson



Compliance to Audit observations

| A. N | A. Main Report | | | |
|----------|--|---|--|--|
| S.No. | Audit observations | Reply to Audit observations | | |
| 4(iv)(A) | Interest earned (Schedule XVI) ₹ 4.48 lakh The above does not include interest due but not received amounting to ₹ 29.85 lakh for the period 2016-17 and 2017-18. This has resulted in understatement of Interest Earned, Surplus and Current Assets, Loans and Advances by ₹ 29.85 lakh. | The bank by mistake opened a current account on which interest was not payable. However, the Board was persuading the Bank to rectify their mistake and the Bank was not willing to do so. Hence there was uncertainty about the interest as well as the amount of interest. Therefore, it could not have been booked. The Board, however, relentlessly pursued the matter with senior management of the Bank to rectify the mistake and succeeded after close of the year. | | |
| B. A | B. Annexure to Separate Audit Report | | | |
| 1. | Adequacy of Internal audit system There is no internal audit wing in IBBI. Internal audit for the year 2017-18 was done by external agency. Adequacy of Internal control system | - | | |
| ۷. | Internal control system in IBBI is commensurate with the size of the organisation. | | | |
| 3. | System of physical verification of fixed assets Physical verification of fixed assets was carried out in IBBI during 2017-18. | - | | |
| 4. | System of physical verification of inventory There is no inventory in the books of IBBI as on 31st March 2018. | - | | |
| 5. | Regularity in payment of statutory dues IBBI is generally regular in payment of statutory dues. | - | | |

